राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 विधान सभा के चतुर्थ सत्र का उन्तालीसवां दिवस संख्या 26

बृहस्पतिवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1969

विधान सभा की बैठक म. प. 11.06 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)

धरना संबन्धी प्रश्न एवं उस पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने सदन में और मुख्य मंत्री जी ने कल हम लोगों से अपील की थी। उस अपील के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हम लोगों ने धरणा जिन कारणों से दिया उन कारणों को दोहराना मैं समझता हूं उपयुक्त अवसर नहीं है क्योंकि सदन में एक बार नहीं अनेक बार वेरी आयोग के सम्बन्ध में कहा गया है उसे यहां नहीं दोहराया जाय। मैं उस पृष्ठ-भूमि में नहीं जाना चाहता। दूसरे सरकार का विरोधी दलों के साथ दृष्टिकोण में फरक रहा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : (खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को··

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से····

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय··

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाईन्ट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य व्यवस्थित कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपको व्यवस्थित रूप से ही मान रहा हूं।

श्री रामकिशन : धरणे के सम्बन्ध में हम लोगों ने अन्तिम तौर पर सोच समझ कर कदम उठाया है। लोकतन्त्र में मर्यादायें हैं और उन पर आचरण किया जाय लेकिन राज्य सरकार का जो दृष्टिकोण रहा है उससे हमें निराशा हुई है। ऐसी स्थिति में नहीं है लेकिन इस धरणे के मार्फत जो इस देश में लोकतन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं—यहां लोकतन्त्र की बड़ी चर्चायें होती हैं और लोकतन्त्र जनता के राज्य का प्रतीक है। हो सकता है इसमें हमारी खामियां हों लेकिन जो मुद्दे वास्तविक रूप में हैं वह यह हैं कि चतुर्थ आम चुनावों के बाद जो स्थिति पैदा हुई और जिस प्रकार सरकार का गठन हुआ उसके बाद वेरी आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जो सिफारिश की—अगर हम चाहते तो दो वर्षों में भी कदम उठा सकते थे लेकिन लोकतन्त्र में आस्था रखने के कारण रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया कि सरकार इसे स्वीकार करे और उसे स्वीकार करने के बाद जिन्होंने अपराध किया

Page No 2

(श्री रामकिशन)

है, जिन्होंने कर्तव्य की अपेक्षा की है उन्हें दण्ड दिया जाय। एक बार नहीं, अनेक बार बातचीत में भी कल आपके चेम्बर में भी मुख्य मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से चर्चायें कीं और समय समय पर कई बार चर्चायें हुई हैं लेकिन चर्चाओं में जो कुछ प्राप्त हुआ उससे हम पूरा पूरा सन्तोष नहीं कर सके। हम मानते हैं चर्चायें सुन्दर वातावरण में हुईं, कुछ हालात में भी परिवर्तन हुये हैं लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं पहले के वैसे ही रह गये। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक और निवेदन करना चाहता हूं आपने कल इस सदन में हमारे बहिर्गमन की बात कही और हम कल भी इस निर्णय पर आ सकते थे। लेकिन आपने कुछ और बात कही थी इसलिये हमने आज दूसरा निर्णय लिया है। दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रजातन्त्र की मान्यताओं का सवाल है। हमने किसी भी प्रजातन्त्र की मान्यताओं को भंग नहीं किया है। हमारी मान्यता है कि प्रजातन्त्र में केवल गोली का सवाल नहीं है बल्कि आचरण का सवाल है। गोली की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद एक आयोग की रिपोर्ट आई और उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। कल ही एक बिल इस सदन में लाया गया। श्रीमती कान्ता कथूरिया के सम्बन्ध में और हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते हुए उस बिल में संशोधन करने की कोशिश की गई। ऐसे ही जब कोर्ट का फैसला हो गया तो मिर्धा साहब की मार्फत सोनी जी के वोटों में परिवर्तन कराया गया। तो मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र वह है या यह है? अगर प्रजातंत्र में नीचे बैठना, कुछ अखबार पढ़ना इनको आप खण्डित कर सकते हैं इनकी आलोचना कर सकते हैं तो प्रजातंत्र की आत्मा को समाप्त करने का काम सरकारी पार्टी ने किया है। अगर यह धरना, अगर सदन के बहिष्कार में से लोगों की आस्था हट गई तो दुनियां में जो स्थिति पैदा होती जा रही है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी बल्कि सरकारी पार्टी पर होगी। आज भी कहते हैं कि आपने गांधीजी की बातों का पालन किया लेकिन मैं नहीं कह सकता कि उससे सरकार में परिवर्तन हुआ। इसका नतीजा यह होगा कि जो प्रवृत्ति हिंसा को पनपाती है उनको मौका मिलता है कि इस सरकार पर सत्याग्रह, धरना, बहिर्गमन का कोई असर होने वाला नहीं है। तो इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र को खण्डन करने का क्रम बना रखा है सरकार ने। अगर आज आप हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने सदन की मर्यादा भंग की है तो · · · ·

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामकिशन : · · · · मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 20 वर्षों में ऐसा मौका हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट और राज्यों की विधान सभाओं में नहीं आया। आप सारे देश का इतिहास देख लें और जो हमने कदम उठाया है वह बहुत सोच समझ कर उठाया। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कुछ कहा मैं यह सोचता था कि आप अपनी आत्मा की आवाज से बोल रहे हैं और सरकार ने जो गैर प्रजातंत्रीय रुख अपनाया है उस पर पद त्याग करने का फैसला

(श्री रामकिशन)

करेंगे लेकिन आप वह फ़ैसला नहीं कर सके इसलिए हम इस सत्र के लिए बहिष्कार करते हैं और जनता में जाकर जन-जागरण के कारण हम इस सरकार को मजबूर करने की कोशिश करेंगे लेकिन हमारी पूरी चेष्टा होगी कि लोकतंत्र नहीं टूटे और हिंसा का कहीं प्रसार न हो। इतना कहकर हम इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज किया जाये

(श्री रामचन्द्र आर्य बोलते रहे)

आर्डर, आर्डर

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज किया जाये इसको।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये

(अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया)

इनको (श्री रामचन्द्र आर्य) ले जाया जाये। मैं मार्शल का उपयोग नहीं करना चाहता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य बोलते रहे)

आर्डर, आर्डर। एक्सपन्ज किया जाये।

(श्री रामचन्द्र आर्य बोलते रहे)

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो धरने को समाप्त करके सदन का बाइकाट करने का प्रश्न लेकर जो उद्गार प्रकट किये उसके सम्बन्ध में फिर से अपनी बात को रखना चाहूंगा। धरने के प्रश्न पर मैं बार-बार अपनी व्यवस्था दे चुका हूं कि यह वैधानिक नहीं, यह असंवैधानिक है। यह कहते हुए मैंने अभिमत व्यक्त किया था कि मैं उदारवृत्ति से सारे प्रश्न को देखते हुए चला और आज मैं इस पर निर्णय लेना चाहता था। इस प्रश्न पर मैंने जैसा कल निवेदन किया था कि दो और प्रश्न मेरे सम्मुख थे। वे सदन त्याग करें और यदि नहीं त्यागते हैं तो यह धरने की बीमारी प्रजातंत्र की नींव को खोखला करेगी ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मेरा आज दृढ़ संकल्प था इस प्रश्न पर कि यदि धरना नही समाप्त होता है तो, अनिच्छा से भी, मैं अपने संवैधानिक कदम को आज अन्ततोगत्वा उठाता। माननीय सदस्यों को मैं दृढ़ता से इस सदन से बाहर जाने के लिए, सदन के प्रांगण का दुरुपयोग नहीं करने की दृष्टि से उन्हें कहता। सम्भवतः वे मानते मेरे आदेश को और यदि नहीं मानते तो जो संविधान में इस आसन को अधिकार दिये हैं मैं उनका पूर्णतया उपयोग

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री अध्यक्ष)

करता हुआ बाहर उन्हें सदन से निकलवाता यह मेरा दृढ़ संकल्प था किन्तु वह प्रश्न कुछ टल गया और मुझको अपने कर्कश दायित्व—कर्कश नहीं कहता जो अधिकार दिया हुआ है वह दायित्व निर्वहन करने का अवसर नहीं मिला । मैं फिर से धरने के प्रश्न पर संविधान की अभिव्यक्ति को दोहराता हूं । धरना अब तक प्रजातांत्रिक परिपाटी के विरुद्ध एक परम्परा बनाये जाने का प्रयास हुआ है किन्तु सदन के प्रांगण का दुरुपयोग करने के प्रश्न पर कभी भी यह परम्परा नहीं बनी अब तक । धरना अपनी मांगों को मनवाने का एक शस्त्र है जो प्रशासन के विरुद्ध काम में लाया जाता रहा है । उसका प्रांगण सचिवालय हो सकता है, जिलाधीश का आफिस हो सकता है जहां प्रशासन का संचालन होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु सदन की गरिमा, सदन की पवित्रता, सदन की परम्परायें और मान्यता के विरुद्ध अगर सदन के प्रांगण का दुरुपयोग किया जाये तो सदन से और शासन से टकराहट लिये जाने वाला यह हथियार सभी रूप से संविधान के विरुद्ध है । मैं अब भी उसी मत को अभिव्यक्त करता हूं । सम्भवतः इस धरने की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने नहीं सोचा । इसमें दूरदर्शिता की आवश्यकता थी और जो संविधान और प्रजातांत्रिक परिपाटी का इवोलूशन, परिवर्तन होता जा रहा है राष्ट्र में, उसके संदर्भ में इस धरने के प्रश्न पर सोचा जाना चाहिए था । मैंने कल निवेदन किया कि यह धरने का हथियार दोमुखा है जो इस धरने का सुझाव देता है, प्रतिपादन करता है उनको इसकी विषमता का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए । वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में भी जहां कहीं भी विरोधी दल अपनी सरकार बनायें या संविद सरकार बनायें यही धरना उनके विरुद्ध भी काम में आ सकता है यह दूरदर्शिता का प्रश्न था जिस पर सोचा जाना चाहिए था । इसलिए अच्छा यह है कि यह दोमुखा हथियार, यह शस्त्र, यदि न काम में लाया जाय तो सदन की परम्परा, गरिमा और उसकी पवित्रता का निर्वाहन पूर्णतया हो सकता है । यदि इस धरने के हथियार को अपनाया गया तो यह धरने का हथियार जहां प्रजातंत्र के घटक बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, जिला परिषद से लगाकर ग्राम पंचायतों तक जो संविधान और नियमों के अन्तर्गत बनी हुई हैं, वहां पर भी माननीय सदस्य अगर धरने का हथियार वहां अपनाकर उनकी कार्य-प्रणाली और उनके कार्यक्रम में दस्तन्दाजी करेंगे तो मेरा विश्वास है कि संविधान के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाएं आगे नहीं बढ़ सकेंगी । यह हथियार यहां अपनाया गया लेकिन दूरदर्शिता से नहीं, प्रजातन्त्र की बढती बडी प्रगति के आधार पर नहीं, और जो परम्पराएं हम बना रहे हैं इस प्रशासन को इस सदन के माध्यम में चलाने के प्रश्न पर, उसके आधार पर भी नहीं । मैं यह चाहता हूं कि यह प्रश्न विवाद का नहीं बने । यह राष्ट्र के स्तर का प्रश्न है, और जितने राजनैतिक दल जो यह आशा रखते हैं कि इस राष्ट्र में उनकी सरकारें बनें, उनको इस प्रश्न पर राष्ट्र के स्तर पर इसकी विषमता है ।

Page No 5

(श्री अध्यक्ष)

पर सोचना चाहिए। मेरी यह मान्यता है कि यदि राजनैतिक दल सभी इस धरने के प्रश्न पर गहन और मननशील होकर चिन्तन करेंगे तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि यह धरना आसन और सदन से टकराहट लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी मेरी मान्यता है। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य जो बाहर गये हैं वे भी इस आसन ने जो ऐसी विषम स्थिति होते हुए भी जो इस धैर्य से काम लिया उसके सम्बन्ध में दो राय नहीं रखेंगे और उस धैर्य ही का एक प्रतिफल है कि माननीय सदस्यों पर कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ा, और मेरे अपने अधिकारों का उपयोग करने के पूर्व ही यहां से गये।

मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य बाद में भी गहराई से मनन करें, चिन्तन करें। दूसरे जो शस्त्र प्रजातन्त्र प्रणाली के हैं उनका उपयोग करें। इस सदन के प्रांगण पर धरने जैसे शस्त्र का जो कि दोमुखा शस्त्र है इस पर फिर से सोचें अपने दलों से और राष्ट्र के स्तर पर इस प्रश्न को सोचें। यह न हो कि यह बामारी सभी विधान सभाओं में फैल जाय। यही मेरा भय है।

इतना ही उपयुक्त होगा मेरे लिए इस समय कहना। मैंने कल अधिक से अधिक धैर्य रखना चाहा। इसी दृष्टि से सदन के बिजिनेस को जितना धीरे चलाना चाहा उतना धीरे चलाया, और अन्ततोगत्वा मुझको जब कोई संकेत नहीं मिला तब साधारण बिजिनेस को सम्पन्न करना पड़ा। इसमें न सदन की और न इस आसन की कोई दूसरी मनोवृत्ति ही थी। मैं तो चाहता था माननीय सदस्यों का सहयोग, और यदि सहयोग मिलता तो इस सदन को कुछ रोज और चलाने के लिए सदन के नेता से भी अनुरोध करता और कुछ प्रश्न जो बच गये हैं उनमें उनका सहयोग मिलता और हम यहां से जब विदा होते तो बड़ी सद्भावना से विदा होते। ऐसा मेरा विश्वास है। अधिक मैं नहीं कहना चाहता यदि माननीय वित्त मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं इसमें तो वे संक्षेप में कुछ कहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस सदन का बहिष्कार करके, सदन में रहकर जो लाभ और जो प्रजातान्त्रिक जिम्मेदारी अदा कर सकते थे, उन्होंने उस रास्ते को नहीं अपनाया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सदन के नेता ने और गृह मंत्रीजी ने समय-समय पर बेरी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं उन पर राज्य सरकार की नीति के ऊपर काफी रोशनी डाली है। माननीय मुख्य मंत्री जी का कल का बयान जो इस सदन में हुआ और उसके बाद में विरोधी दल के नेताओं से जो वार्ता हुई उससे हमें ऐसी आशा बन्धी थी कि मुमकिन है इस समस्या का समाधान हो जायगा, और विरोधी दल के माननीय सदस्य सदन में बैठकर सदन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार की हमेशा यह इच्छा रही है और हमारी पार्टी की अभी भी यह प्रबल इच्छा है कि माननीय सदस्य सदन में रहकर अपनी जिम्मेवारी, जो प्रजातान्त्रिक जिम्मेवारी उन पर आई है उनको और हम सब लोगों

(श्री मथुरादास माथुर)

को मिल करके इस सदन की परम्पराओं और इस सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष, हम लोग आपके आभारी हैं और हम आपकी इस वेदना को खूब समझते रहे हैं। इन दिनों जो कुछ विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने अप्रजातांत्रिक तरीकों से धरना रखा और इस सदन की गरिमा और प्रतिभा को कम करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी आपने जिस सरलता और जिस टोलेरेन्स से इस काम को किया है उसके लिए मैं अपनी और सदन की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। जिस वेदना से आपने कल इस विषय पर कहा था और आज जो कुछ भी आब्जर्वेशन्स किये गये हैं हम उससे सहमत हैं। इस पार्टी में बैठने वाले सभी लोगों की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आपके सहयोग से इस सदन की गरिमा और इसकी प्रतिभा और जो प्रजातान्त्रिक प्रणाली इस देश में कायम होती रही है यह सदन हमेशा उसको ऊपर रखेगा।

अगर सोशियेलिस्ट पार्टी के नेता श्री रामकिशन जी ने जो बयान दिया है उसको इस सदन की प्रोसीडिंग समझा जाय तब तो मुझे इतना ही कहना है कि राज्य सरकार हमेशा प्रजातन्त्र में विश्वास रखती रही है। कांग्रेस पार्टी का शासन सन् 1952 से लगाकर आज तक इस राजस्थान में रहा है और हमेशा प्रजातान्त्रिक तरीके से कांग्रेसी सदस्य और इस सदन की कांग्रेस पार्टी प्रजातान्त्रिक तरीकों को कायम रखने वाली कोशिशें करती रही है। न तो गोलियों के आधार पर यह सरकार बनी है बल्कि जनमत ने कांग्रेस पार्टी को चुन कर भेजा है, और बहुत से इन्डिपेन्डेंट साथी साथ में आये, इसलिये सरकार बनी, और आज यह सरकार दो साल से जनता की बहतरी के लिए वेलफेयर स्टेट के सिद्धान्त पर चल रही है। इसलिए हम लोगों को आमो-अवाम ने इस पार्टी को सहयोग दिया और आगे भी देते रहेंगे। इस आधार पर हम सरकार चला रहे हैं। जितने सदन को कानूनी अख्त्यारात हैं, संविधान में जो अख्त्यारात सदन के बताये गये हैं उनके आधार पर हम लोगों ने जो इस सदन में जो कुछ भी कदम उठाये हैं, जो कोई भी कानून बनाये हैं वे प्रजातान्त्रिक प्रणाली और परम्पराओं के अनुकूल है। इसलिए यह बात हम मानने को तैयार नहीं हैं कि हम लोगों ने कभी भी प्रजातान्त्रिक प्रणाली को कोई ठेस पहुंचाई हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं इस वक्त ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं और मेरे और मेरी पार्टी की ओर से विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों से जिन्होंने बहिष्कार किया है फिर अपील करूंगा, पुनः अपील करूंगा कि वह सदन की बैठकों में हिस्सा लें, और सदन के कार्यक्रम को चलाने के लिए एक जागरूक सदस्य के नाते सहयोग दें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

तारांकित प्रश्नोत्तर

चुनाव, सार्वजनिक निर्माण पर्यटन, आयुर्वेद, सहकारिता, गृह, सहायता कोष,

पशुपालन, स्वायत्त शासन, राजनैतिक पीडित, जन-स्वास्थ्य, नियुक्ति, यातायात, सामान्य प्रशासन

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या 674

श्री हरिवल्लभ शर्मा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 675

श्री रामसिंह कुद्दी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 676

श्री बालसिंह सोढ़ा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 677

श्री मदनसिंह दांता !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 678

श्री केशरीसिंह हाड़ा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 679

श्री गोरधन सोनी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 680

श्री दौलतराम सारण !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 681

श्री चुन्नीलाल जेलिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 682

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 683

श्री गंगासहाय !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 684

श्री लादूराम सुलानियां

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 685

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 686

श्री रामचन्द्र आर्य !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल सराड़ा !

परसाद—चावंड, सेरिया—सलूम्बर सड़क

687. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला उदयपुर तहसील सराडा में परसाद से चावण्ड, सेरिया सलूम्बर सड़क को पंचवर्षीय योजना में लिया जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितनी धन-राशि का प्रावधान रखा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क सलूम्बर और सराड़ा को जोड़ती हुई नेशनल हाई वे में 9-8 से मिलती है ?

(श्री देवीलाल)

(3) क्या इस सड़क पर पुलिया नहीं होने से वर्षा के दिनों में आवागमन में परेशानी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सडक पर पुलियाएं भी बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) अमाद से सलूम्बर वाया चावण्ड सेरिया का योजना में प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, अर्थाभाव के कारण संभव नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : क्या इस सड़क पर प्रथम पंच वर्षीय योजना में कोई काम किया गया था और इस पर कुछ रुपया खर्च किया गया था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इस पर थोडा बहुत काम हुआ जरूर है पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह थी या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है, जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या यह जानकारी करके प्रश्नकर्ता को जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : हाई पोथेटिकल। अलग से प्रश्न। प्रश्नकर्ता !

श्री देवीलाल : क्या यह सडक चौथी पंच वर्षीय योजना में रखी गई है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : चौथी योजना में नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : इस सडक को प्रथम पंचवर्षीय योजना में लिया गया था और इस पर रुपया खर्च किया गया था तो इसको चौथी पंचवर्षीय योजना में क्यों नहीं लिया गया है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कहा कि इसको मालूम करके जवाब दे दिया जायगा यदि यह पहली योजना में थी तो इसका काम पूरा कराने की कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री रोशनलाल शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सडक थी, उस पर रुपया खर्च किया गया है, एक तहसील से दूसरी तहसील को तो क्या इसको चौथी पंचवर्षीय योजना में लिया जायगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर और तहसील हैड क्वार्टर को मिलाने का निर्णय है पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की कई सडकें नामुकम्मिल पड़ी हैं, उनको प्रायोरिटी दी जायगी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में थी।

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : बैठे हुए कहें वह नहीं सुना जाता।

प्रश्न संख्या 688

श्री हरजीराम बुरडक !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 689

श्री रामनारायण चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No 9

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 690

श्री लाभचन्द वैद !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 691

श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 692

श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 693

श्री हीराभाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 694

राजवी श्री रूपसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 695

श्री पी. के. चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 696

श्री कृष्ण कुमार गोयल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 697

श्री हरलालसिंह खर्रा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 698

श्री रामसिंह कुडी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 699

श्री बृजबल्लभ बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 700

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 701

श्री मनोहरसिंह मेहता !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 702

श्री महेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामकुमार नन्दवाना !

नगरपालिका चित्तौड़गढ़ द्वारा मीरा नगर में प्लाटों का बेचान

703. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वायत्त-शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौडगढ़ नगरपालिका ने सन् 58 में मीरानगर स्थित डी. क्लास में रेजीडेन्शियल परपज के लिये 40×60 के प्लाट बेचे ? यदि हां, तो किस किस को एवं कितने रुपये में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इन प्लाटों के बेचने के बाद से अब तक गृह निर्माण सहकारी समिति चित्तौडगढ़ एवं नगरपालिका में आपस में कोई विवाद जारी था ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ? निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(3) क्या यह भी सही है कि मौजूदा निर्णय सन् 1968 में लिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या आधार रहे हैं और क्या यह भी सही है कि इसके पूर्व जब तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री कुम्भाराम आर्य थे तब कोई निर्णय लिया जा चुका था ? यदि हां तो क्या इस निर्णय और उनके निर्णय में कोई फर्क था ? उस निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके बारे में जो पार्टी प्रभावित हुई है उससे उसको अवगत कराया जा चुका ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा ?

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसे स्थगित किये जाने की प्रार्थना है ।

श्री रामकुमार नन्दवाना : कुछ भी सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : यह कहा है कि स्थगित किया जाय इस प्रश्न को । मेरी भी तकलीफ यह है कि इतने प्रश्न स्थगित किये गये और उनके साथ इसको और स्थगित किया गया ।

प्रश्न संख्या 704

श्री चुन्नीलाल जेलिया ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 705

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 445

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : 705 का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका उत्तर दिलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण था, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया तब उठाया है; अब वह अतीत की बात हो गई ।

श्री गंगासहाय ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मूलचन्द डागा : 705 लिया जाय ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि उपज मंडी सवाई माधोपुर के चुनाव

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(1) कृषि उपज मंडी सवाई माधोपुर के प्रथम आम चुनाव कब सम्पादित हुए ?

(2) क्या उक्त चुनावों के परिणाम अब तक राज-पत्र में प्रकाशित नहीं करवाए गए और नव निर्वाचित समिति को कार्य करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति सवाई माधोपुर का प्रथम ग्राम चुनाव दिनांक 10–8–1968 को सम्पन्न हुआ।

(2) राज्य सरकार ने दिनांक 20–1–1969 को ग्राम चुनाव के परिणाम राजपत्र में प्रकाशनार्थ राजकीय मुद्रणालय को प्रेषित कर दिये हैं। राज पत्र में विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् ही जिलाधीश द्वारा नव गठित मंडी समिति की प्रथम बैठक बुलाई जायेगी।

पंचायत समिति जायल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूल भवन

675. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या पंचायत समिति जायल, जिला नागौर की प्राइमरी स्कूलों व अन्य सरकारी व अर्ध-सरकारी भवनों की इमारतें बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई एवं उनकी सूची विकास अधिकारी ने कलेक्टर नागौर को भेजी ? यदि हां, तो ऐसे भवनों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या उक्त सूची में अंकित किसी भवन या सार्वजनिक कुवे की मरम्मत कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कराई जा सकेगी ?

(स्थगित किया गया)

जैसलमेर को पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना

श्री बालसिंह सोढा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार व केन्द्र ने पचास-पचास प्रतिशत के हिसाब से जैसलमेर में पर्यटन भवन निर्माण हेतु तीन लाख की राशि स्वीकृत करदी है ? अगर हां, तो क्या कारण है कि आज तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ?

(2) क्या सरकार जैसलमेर को पर्यटन केन्द्र बनाने की कोई योजना बना रही है ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जब कि जैसलमेर इसके लिए उपयुक्त है और सैकड़ों विदेशी हर वर्ष यहां की कला को देखने आते हैं ?

उत्तर

(1) द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 'पार्ट 2' में जैसलमेर में पर्यटक विश्राम गृह के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई थी। क्योंकि ऐसी स्वीकृति योजनाओं को कार्यान्वित करने के पूर्व भारत सरकार से पुनः अनुमति लेना आवश्यक होता है, अतः इस योजना को इसी वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित करने हेतु "योजना बजट" में राज्य एवं केन्द्रीय अंश को मिलाकर 2 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। साथ ही भारत सरकार को 3 लाख रुपये की यह योजना बनाकर भेजी गयी थी और उनकी अनुमति हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु भारत सरकार ने इस योजना को अब "चतुर्थ पंचवर्षीय" में स्वयं अपने स्तर पर ही करने का भार ले लिया है. अत इन कारणों से जैसलमेर पर्यटन भवन का निर्माण कार्य चालू नहीं किया जा सका है।

(2) सरकार द्वारा जैसलमेर को पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना पहले से ही बना ली

(पर्यटन मंत्री)

गई है और इसके लिये भारत सरकार को भी उनको अनुमति हेतु निवेदन किया जा चुका है, जैसा कि प्रश्न के भाग (1) में बतलाया गया है।

ग्राम मण्डा (सुरेरा) में आयुर्वेदिक औषधालय

677. श्री मदनसिंह दातां (दातां रामगढ़)--क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) ग्राम मण्डा (सुरेरा) तहसील दातां रामगढ़ की जनता द्वारा भवन उपलब्ध कराने के पश्चात् भी किन कारणों से जनता द्वारा बार बार मांग करने पर भी औषधालय नहीं खोला जा रहा है?

(2) भविष्य में औषधालय कब तक खोला जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम मण्डा (सुरेरा) तहसील दातां रामगढ़ जिला सीकर में औषधालय खोलने हेतु इस वर्ष तथा गत वर्ष में कोई नियमित प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः औषधालय खोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) नियमित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

शक्कर की सहकारी फैक्ट्री, बून्दी

678. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डौली)--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या सरकार को विदित है कि बूंदी रोड स्टेशन पर शक्कर की सहकारी फैक्ट्री के अब तक जो 4200 शेयर्स बिके हैं और उनकी रकम 10,50,000 एकत्रित की गई है? क्या यह रकम सोसायटी के पास पड़ी है? यदि हां, तो कब से तथा क्यों?

(2) क्या 218914.80 पैसे की जो रकम फैक्टरी को जमीन खरीद के देने हैं वह दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या फैक्टरी ने एक मैनेजर भी रख लिया है? यदि हाँ, तो वह कौन है, कहां पर रहता है? क्या तनख्वाह लेता है और उसे कब से रखा गया है? उसका दीगर अमला कितना है?

(4) बूंदी में जिस मकान में फैक्ट्री का कार्यालय बना रखा है उसका क्या किराया है और कब से दिया जा रहा है?

(5) क्या यह सत्य है कि फैक्टरी का फालतू खर्चा देखकर व काम में शिथिलता का अनुभव करके शेयर होल्डर्स अपनी रकम को वापिस लेने का विचार रखते हैं?

(6) यदि हां, तो क्या शेयर्स को लौटाने के साथ साथ सहकारी समिति ने जितने दिनों तक रकम रखी उसका बैंक की दर से सूद भी देगी?

उत्तर

(1) जी हां, शेयर बिक्री को यह रकम एकत्रित की गई है। यह रकम सोसायटी के पास पड़ी नहीं है बल्कि भवन निर्माण कार्य और मशीनरी पर व्यय हुई

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां, जमीन खरीद की इस रकम का भुगतान कर दिया गया है ।

(3) जी हां, फैक्ट्री में मैनेजिंग डाई-रैक्टर का पद है जिस पर श्री ब्रह्मदत्त, आर. ए. एस. (चयन वेतन श्रृंखला) नियुक्त हैं । वे फैक्ट्री एरिया में रहते है । इनका वेतन अभी की वेतन स्लिप के अनुसार 10'0) रुपये मासिक है । इन्हें दिनांक 28-8-68 से रखा गया है । इनका दीगर अमला निम्न है:—

शीघ्र लिपिक लेखक	एक
वरिष्ठ लिपिक	एक
कनिष्ठ लिपिक	दो
लेखाकार	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तीन

(4) कार्यालय का किराया 180) रुपया मासिक दिनांक 15-8-66 से दिया गया है ।

(5) जी नहीं ।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुचामन में देशी बन्दूक की चांप बनाने वाले कारीगरों को लाइसेन्स

679. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुचामन में देशी बन्दूक की चांप बनाने वाले कारीगरों को कितने लाइसेन्स दे रखे हैं ? उनके क्या नाम हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अफलातून कारीगर कुचामन सिटो ने सभी कारीगरान की तरफ से प्रतिवेदन मई 68 में सरकार के व सभी जिम्मेदार अधिकारियों को प्रेषित किये थे ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या यह सही है कि कुचामन के पचासों कारीगर लाइसेंस के अभाव में भूखों मर रहे हैं और उन्हें उदयपुर एवं जोधपुर मे बड़े कारखानों में जहां देशी बन्दूकें बनती हैं वहां मजबूर होकर रहना पड़ रहा है ?

(4) देशी बन्दूक की चांप बनाने के लिये आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस के प्रावधान कौन सी धारा के अनुसार हैं जब कि यह कोई हथियार नहीं है ?

(5) क्या यह सही है कि एक मुसलमान कारीगर के मरने के बाद भी एस. डी. एम. परबतसर के यहां मुकदमा 5 साल से चल रहा है ? यदि हां, तो उसकी अभी तक क्या स्थिति है ?

(6) क्या यह सही है कि कुचामन के कारीगरों का यह पुश्तैनी धंधा था और अब उनको इससे महरूम कर बेकार कर दिया गया है ?

(7) क्या यह सही है कि अफलातून कारीगर ने माननीय गृह मन्त्री को जून, 68 में लिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था एवं लाइसेंस हेतु या चांप बनाने की इजाजत हेतु जिलाधीश नागौर के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) इस समय कुचामन में देशी बन्दूकों की चांप बनाने का अनुज्ञापत्र किसी को भी नहीं दिया हुआ है।

(2) जी हां। प्रतिवेदन जिलाधीश के पास अपनी सिफारिश भेजने हेतु भेज दिया गया है।

(3) जी नहीं। भूखों मरने जैसी कोई बात नहीं है।

(4) आर्म्स रूल्स, 1962 के शिड्यूल के नीचे अंकित नोट के अनुसार हथियार के पार्टस हथियार की गिनती में हो जाते हैं और इनके लिए अनुज्ञापत्र आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 3 के अनुसार लेना आवश्यक है।

(5) मुलजिम श्री जमालुद्दीन जो फौत हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही अबेट (Abate) करदी गई है। मुकदमे में बहस के लिये 24–3–68 को पेशी रखी गई थी।

(6) पुश्तैनी धंधा हो सकता है, राज्य सरकार का किसी को बेकार करने का कोई इरादा नहीं है, नियमों के विरुद्ध कार्य करने से लाइसेन्स रद्द किये गये हैं।

(7) गृह मंत्री को जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ उसके बारे में प्रश्न के भाग (2) के तहत स्थिति बताई जा चुकी है। जो प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के वहां दिया गया उसके बारे में जिलाधीश ने सूचित किया है कि वो भी इस मामले में आवश्यक जांच करवा रहे हैं।

मुख्य मंत्री सहायता कोष

680. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(1) मुख्य मंत्री सहायता कोष में अब तक अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ कितना धन और सामान कहां कहां से प्राप्त हुआ है?

(2) इस धन राशि में से पीड़ितों की सहायतार्थ किस रूप में कितना धन कहां कहां खर्च किया जा चुका है?

(3) किन किन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों उप मंत्रियों और अधिकारियों ने कहां कहां यह सहायता वितरण की है? इस संबंधी उनके दौरे तथा कार्यक्रमों पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ है?

(4) यह सहायता प्राप्त करने के लिये किस किस ने कहां कहां दौरे किये हैं और उन दौरों में राज्य का कितना व्यय हुआ है?

(स्थगित किया गया)

चौथ-का-बरवाड़ा-चोरु सड़क

681. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम चौथ-का-बरवाड़ा तहसील सवाई माधोपुर से ग्राम चोरु तक की सड़क के निर्माण की मंजूरी सन् 1957 में हो गई थी? अगर हां, तो उस सड़क का काम अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया?

Page No 15

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

(2) क्या सरकार अब उस काम को चालू करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

भेड़ प्रजनन केन्द्र, चित्तौड़गढ़

632. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले के अन्तर्गत जो भेड़ प्रजनन केन्द्र खोला गया था उसकी इमारत पर लगभग डेढ़ लाख रुपया खर्च किया गया और 20 कर्मचारियों और एक अधिकारी के ऊपर लाखों रुपया वेतन के रूप में भी खर्च किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस केन्द्र में कुल मिलाकर सन् 67-68 में केवल 30 भेडें थीं और केन्द्र में कम से कम इनकी संख्या 10 मेमनें तक रही है ? इस केन्द्र की संख्या 10 मेमनें तक रही है ? इस केन्द्र की उपलब्धियों के सम्बन्ध में क्या सरकार सन्तुष्ट है ?

उत्तर

जी हां यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में भेड़ प्रजनन केन्द्र खोला गया था और इस पर जो कुछ खर्चा हुआ है वह केवल इमारत पर ही नहीं वरन् जमीन की तारबन्दी, कुऐं की मरम्मत आदि पर व्यय हुआ है। यह भी सही है कि प्रारम्भ में कर्मचारियों की व अधिकारियों की नियुक्ति करने के उपरान्त 67-68 में 30 भेडें रखी गई थीं परन्तु यह भेड़ें अध्ययन के लिए जैसा कि अनिवार्य होता है खरीदी गई थीं अब इनकी संख्या अध्ययन समाप्त होने पर 300 कर दी गई है और उनसे संतोषप्रद फल प्राप्त हो रहे हैं।

आयुर्वेद निधि कालेज जयपुर

683. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद निधि कालेज, जयपुर की परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र 1964 के बाद अभी तक तैयार नहीं हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है इस कालेज को राजस्थान विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करने के लिये पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस कालेज से उत्तीर्ण व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इसी कालेज से उत्तीर्ण कई व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस कालेज की उपाधि का नियुक्तियों के विज्ञापन में नाम नहीं दिया जाता है जब कि यह सरकार से सहायता प्राप्त कालेज है ?

(आयुर्वेद मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व में संस्था के मन्त्री के अभाव में व प्रिन्सिपल की मृत्यु के कारण तैयार नहीं हो सके थे, अतः सिर्फ अस्थायी प्रमाण पत्र दिये जाते रहे हैं।

(2) विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया है उनका पंजीयन किया जाता रहा है, और अब भी चालू है।

(5) इस सहायता प्राप्त कालेज की आयुर्वेदिक उपाधियां समुचित कर्माभ्यास/प्रायोगिक की व्यवस्था की कमी के कारण वैद्य पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। परन्तु यूनानी उपाधि तबीब फजल हकीम पद के लिए मान्य हैं।

झोटवाड़ा के नागरिकों को सुविधाएं

684. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 7-10-65 से ग्राम झोटवाड़ा नगरपरिषद् जयपुर की सीमा में आ चुका है और ग्राम पंचायत भंग हो चुकी है?

(2) क्या नागरिक जीवन की नगर-परिषद् जयपुर में मिलने वाली सभी सुविधाएं इस क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध हैं?

(3) क्या यह भी सत्य है कि नगर-परिषद् व नगर विकास न्यास जयपुर से भवन निर्माण तामीर की स्वीकृति हेतु दो दो वर्षों तक स्वीकृति नहीं दी जाती और जनता को परेशान किया जाता है यदि हां, तो क्यों और नहीं तो वर्ष 66-67 से वर्ष 68-69 तक कितने प्रार्थना-पत्र मय मानचित्र के स्वीकृति हेतु किस किस तारीख को किस किस व्यक्ति के प्राप्त हुये और किस किस तिथि को उन्हें स्वीकृति दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

अध्यक्ष सहकारी उपभोक्ता भंडार अलवर के विरुद्ध बकाया रकम

685 श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डा० किशन लाल शर्मा अध्यक्ष सहकारी उपभोक्ता भंडार नं० 12 अलवर नगर की ओर रोकड़ पोते 2-6-67 से 8974.39 रु. बाकी निकल रहे हैं और उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर खण्ड राजस्थान ने अपने 25-8-67 के निर्णय द्वारा उक्त डा० किशनलाल को यह रुपया एक माह के अन्दर अन्दर मय 12 प्रतिशत ब्याज अदा करने का आदेश दिया था?

(2) क्या यह सही है कि डा० किशन लाल से यह रुपया अभी तक जमा नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त डा० किशनलाल के विरुद्ध सहायक रजिस्ट्रार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
अलवर के यहां 900) रु० एवं 700) रु० गबन करने के दो अन्य केस और भी चल रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इस 8074.39 रु. जमा कराने के मामले में डा. किशनलाल ने रजिस्ट्रार के यहां अपील दायर की है और 31-5-1968 के बाद इस अपील में कोई तारीख नहीं पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त उपभोक्ता भंडार के निर्माण के बाद कोई कार्यकारिणी का चुनाव नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। श्री शर्मा ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर को अधिनियम की धारा 124 (2) (बी) के अन्तर्गत अपील पेश की थी। और रजिस्ट्रार ने दिनांक 4-1-69 को उक्त अपील खारिज करदी थी। अब रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध डा० किशनलाल शर्मा ने राज्य सरकार को निगरानी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसका निर्णय होना शेष है।

(3) जी नहीं।

(4) श्री किशनलाल ने रजिस्ट्रार के यहां अपील की थी जिसका फैसला 4-1-69 को हो चुका है।

(5) जी हां। भंडार के अधिकारियों द्वारा चुनाव नहीं कराये गये। इसलिये सहायक रजिस्ट्रार द्वारा धारा 31 के अन्तर्गत विशेष ग्राम सभा बुलाई गई थी। किन्तु उसका भी कोई कोरम पूर्ण नहीं हो सका। अतः चुनाव सम्भव नहीं हो सका।

राजनैतिक पीडितों को सहायता

686. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता दी गई है ? यदि हां, तो किस आधार पर व किस श्रेणी के व्यक्तियों को किस किस रूप में सहायता दी गई है ?

(2) राजनैतिक पीड़ित की परिभाषा क्या है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन आदमियों के पास काफी जायदाद जमीन थी उनको भी राजनैतिक पीड़ित मानकर भूमि दी गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने आदमी हैं और कहां कहां के है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिन राजनैतिक पीड़ितों को राजनैतिक पीड़ित मानकर भूमि दी गई है उन्हें भूमिहीन मानकर भी उसके अलावा और भी भूमि उनके नाम से अलॉट की गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने आदमी हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि काफी राजनैतिक पीडितों ने फर्जी भूमिहीन बनकर भूमि प्राप्त की है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने आदमी है ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(6) क्या यह सही है कि काफी राजनैतिक पीडितों को आज तक सहायता नहीं मिली है ? यदि हां, तो कितने आदमियों के मामले अभी तक पेंडिंग हैं ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । इस विषय में राजस्थान राजनैतिक पीडित सहायता नियम 1959 निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है ।

(2) नियम 2 (iii) में परिभाषा अंकित है । नियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) जी नहीं । विशेषतौर पर जिन व्यक्तियों को ऐसी स्थिति में भूमि दी गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी नहीं । जिनको विशेषतौर और भी भूमि दी गई है उसकी सूची भाग-3 के उत्तर में दी गई है ।

(5) जी नहीं । ऐसा मामला अभी राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(6) जिन राजनैतिक पीडितों के मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।
(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

भेड़ प्रजनन केन्द्र बाकलीया द्वारा बेचे गये भेड़ें एवं मेंढे

688. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि भेड़ प्रजनन केन्द्र बाकलीया तहसील लाडनूं जिला नागौर की भेडें या मेंढे इस वर्ष बेचे गये थे ? यदि हां, तो कब और कितने भेड या मेंढे कितने कितने मूल्य में किस प्रकार से बेचे गये ?

(2) उपरोक्त भेडें और मेंढे कितने कितने मूल्य में कब खरीदे थे और उन पर अब तक कितना खर्चा हुआ ?

(3) उक्त भेडों और मेंढों पर बेचते समय कितने माह की ऊन थी ?

(4) यह भेडें और मेंढे किस लिए खरीदे गये थे और वापिस बेचने का क्या कारण था ? और खरीदने के उद्देश्य को कहां तक सफलता मिली ?

(5) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है कि इन्चार्ज भेड प्रजनन केन्द्र ने भेडें या मेंढे कम मूल्य में खरीददारों से मिलकर बेचे दिये ? यदि हां, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । मादा भेडें 38, नर मेमने 3 भेडें 6 दिनांक 4-2-69 को बेचे गये जिनकी बिक्री से 801 रुपये प्राप्त हुए ।

(2) जी नहीं ।

(3) उक्त जानवरों पर केवल 3 से 4 माह तक की ऊन थी ।

(4) इसका प्रश्न दो के सन्दर्भ में उत्तर दिया जा चुका है ।

(पशु पालन मंत्री)

(5) जी नहीं।

पुलिस स्टेशन मंडावा में चोरियों के दर्ज मामले

689. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस स्टेशन मंडावा में दिनांक 1 जनवरी, 68 से 30-1-69 तक कितनी चोरियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उपरोक्त अर्से में हुई चोरियों में से कितनी चोरियां बरामद की गई तथा कितनी चोरियों की रिपोर्टों में एफ. आर. दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 19-11-68 को कन्हैयालाल पुत्र कालूराम कौम ब्राह्मण निवासी वाहिदपुरा के यहां चोरी होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस चोरी के मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त श्री कन्हैयालाल की चोरी के चोरों का पुलिस को ज्ञान है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) पुलिस स्टेशन मंडावा में दिनांक 1-1-68 से 30-1-69 तक 15 अभियोग चोरियों के पंजिबद्ध हुए प्रत्येक केस में पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारम्भ किये गये।

(2) उपरोक्त अर्से में हुई चोरियों में से 3 चोरियों में माल बरामद हुआ व 8 चोरियों में एफ. आर. अदमपता तथा 2 में अदमवकू में एफ. आर. दी गई व 2 जेर तफतीश है।

(3) जी हां, रिपोर्ट की थी अभियोग पंजिबद्ध होकर अनुसंधान किया गया व एफ. आर. दिनांक 25-2-69 को अदमपता में दी गई है।

(4) जी नहीं, पुलिस को उक्त चोरी के चोरों का कोई ज्ञान नहीं है।

खेतान जल प्रदाय योजना, सुजानगढ़

690. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सुजानगढ कस्बे में खेतान जल प्रदाय योजना कब स्वीकृत हुई ? और इस योजना का अनुमानित व्यय कितना है ?

(2) इस योजना का नाम खेतान जल प्रदाय योजना रखे जाने का क्या कारण है ? क्या खेतान पार्टी की ओर से इस योजना का यह नाम रखवाने हेतु कोई धन राशि राज्य सरकार को देनी तय की है ? यदि हां, तो क्या एग्रीमेन्ट सरकार और खेतान पार्टी के बीच में हुआ है ? यदि हां, तो एग्रीमेन्ट की कापी सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या एग्रीमेन्ट में तय हुई कुल धनराशि पार्टी ने राज्य सरकार को जमा देदी है ?

उत्तर

(4) सुजानगढ जल वितरण योजना 10 जनवरी सन् 66 को स्वीकृत हुई। इस योजना लागत 32 लाख रुपये हैं।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) इस योजना का नाम खेतान गवर्नमेन्ट वाटर वर्क्स सुजानगढ़ इसलिए रखा जाना था क्योंकि सेठ श्री खेतान ने 5 लाख रुपये दान स्वरूप देना मंजूर किया था। जी हां। जी हां एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अभी तक 5 लाख रुपयों में से 3.5 लाख रु. प्राप्त हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

निलम्बित ए. डी. एम. नागौर

691. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुखदेव आर्य ए. डी. एम. नागौर निलंबित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि निलंबित हालत में भी उन्होंने राजकीय निवास स्थान खाली नहीं किया जिससे वर्तमान ए. डी. एम. को ठहरने की दिक्कत है ?

(3) श्री आर्य को निलंबित करने के आदेश कब जारी किये गये व किस दिन उसका पालन शुरू हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि चुनाव कमिश्नर इण्डिया के निर्देशानुसार श्री आर्य को निलंबित किया गया ? उनका निर्देश कब मिला व राज्य सरकार ने कितने दिन उसे रोके रखा ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1967 के आम चुनावों में मेड़ता विधान सभा कान्स्टीट्यूएन्सी के चुनाव में रिटर्निंग आफीसर के नाते अनियमितताएं करने के अभिकथन पर।

(2) जी हां।

(3) दिनांक 19-12-69 को तुरन्त प्रभाव से।

(4) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बीकानेर की अदालत में दर्ज प्राईवेट इस्तगासों की संख्या

692. श्री रामकिशन (बैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) जनवरी सन् 1965 से फरवरी सन् 1968 तक अलग अलग माह में एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर की अदालत में दायर किये गये प्राईवेट इस्तगासों की संख्या क्या थी ?

(2) उक्त प्राईवेट इस्तगासों में से कितने इस्तगासों में पुलिस पर यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं किया ? कितने इस्तगासों में पुलिस पर एक या दूसरी पार्टी से मिले होने का आरोप लगाया गया है ?

(3) क्या पुलिस पर इतनी बड़ी संख्या में लगाये गये इन आरोपों की कोई जांच की गई है अथवा पुलिस से कोई जवाब अथवा रिपोर्ट मांगी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या इतनी बड़ी संख्या में प्राईवेट इस्तगासे कितने अन्य मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अथवा

(श्री रामकिशन)

एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में इतने ही अरसे में दायर किये गये हैं ?

(5) क्या श्री. पी. सी. सिंघवी के एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर के पद से स्थानान्तर होने के बाद प्राईवेट इस्तगासों की दायरी की संख्या कम हो गई है ? यदि ऐसा है तो इसका कारण क्या है ?

उत्तर

(1) माह जनवरी, सन् 65 से माह फरवरी, 68 तक प्रत्येक माह में एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर की अदालत में दायर किये गये प्राईवेट इस्तगासों की संख्या 1109 है। माहवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्राईवेट इस्तगासों की प्रतियां पुलिस को प्राप्त नहीं होती, अतः यह कहना कठिन है।

(3) इस प्रकार लगाये गये आरोपों की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। इसलिये जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) जिन धाराओं के केसेज सुनने का अधिकार एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को था वैसा किसी अन्य अदालत को नहीं था अतः इसी मुकाबले की संख्या में मुकदमें दायर होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

कुशलगढ़-रतलाम रोड बस सर्विस

693. श्री हीरा भाई (कुशलगढ़ सु.) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला बांसवाडा की तहसील कुशलगढ के कुशलगढ-रतलाम रोड पर वर्ष 1966 से अब तक कितनी बस सर्विस चल रही है और किन किन बस मालिकान के नाम उक्त रूट एलोट है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त बसें चलाने के लिए भिन्न भिन्न समय निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या क्या समय निर्धारित है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बसों के चलाने में समय का झगडा पडने से मामला हाई कोर्ट में पेश होकर उक्त झगडे का निर्णय हो गया है ? अगर हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सही है उपरोक्त मामले के निर्णयानुसार यातायात विभाग ने आदेश का पालन अभी तक नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बसें निश्चित समय के अनुसार नहीं चलाई जाकर दोनों एक साथ चलाई जा रही हैं जिससे जनता को परेशानी उठानी पडती है ? अगर हां, तो क्यों और कब तक निश्चित समय पर बारी बारी से उक्त बसें चलाने का आदेश सरकार देगी ?

(6) क्या उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़-रतलाम मार्ग पर सन्

(यातायात मंत्री)
66 से कुल दो बसें चल रही हैं जो निम्न मालिकों की हैं :—

(1) श्री शंकरलाल पूनम चन्द ।

(2) श्री महाराज यज्ञ नारायण सिंह

(2) जी हां । निम्न समय निश्चित हैं:—

कुशलगढ़ प्रस्थान	रतलाम पहुँच	रतलाम प्रस्थान	कुशलगढ़ पहुँच
7 प्रातः	11 प्रातः	3.30 सायं	7.30 सायं

(3) जी हां, यह सही है कि समय का मामला हाई कोर्ट में चला और उसका निर्णय दिनांक 28-1-69 को हो चुका है।

(4) हाई कोर्ट के आदेश की पालना कर दी गई है।

(5) जी यह सही नहीं हैं। दोनों बसों के साथ साथ चलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दोनों बसों को एक एक सिंगल ट्रिप करने का आदेश दिनांक 10-3-69 को हीं दिया जा चुका हैं ।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैद्यों के स्थानान्तरण के नियम

694. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा तारानगर, जिला चूरू के आयुर्वेदिक औषधालय में जनवरी सन् 1966 से दिसम्बर 1968 तक कौन कौन से वैद्य रहे और उनके तबादले कब कब हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या वैद्यों के स्थानान्तरण के लिए कोई नियम बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) वैद्यों के स्थानान्तरण कौन करता है और किसके कथनानुसार।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) अराजपत्रित वैद्यों का परिवर्तन निदेशक आयुर्वेद विभाग एवं राजपत्रित वैद्यों का सचिव चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

ग्राम मंडी भीमसिंह की नल योजना

695. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्राम मंडी भीमसिंह तहसील फुलेरा के ग्रामवासियों से सन् 1966 में सरकार ने ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए जन सहयोग बाबत रु. 7,500 रु०या ग्रहण किये थे परन्तु आज दिन तक वहां पर नल योजना कार्य आरम्भ नहीं किया गया और कब तक वह कार्य शुरू होगा ।

उत्तर

ग्राम मंडी भीमसिंह तहसील फुलेरा को जल वितरण योजना हेतु जन सहयोग

Page No 23

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

की धनराशि 7000) रु. माह सितम्बर सन् 1966 में प्राप्त हो चुकी है। जल वितरण योजना बनाई जा चुकी है, योजना तकनीकी जांच के अनुसार फिर से संशोधित रूप में तैयार की जा रही है और शीघ्र ही राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी जावेगी। योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर कार्य शुरू किया जा सकेगा।

सहकारी उपभोक्ता होल सेल भंडार, जोधपुर द्वारा शक्कर एवं स्टेशनवेगन की खरीद

696. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार ने सन् 65 में उत्तर प्रदेश से शक्कर व दिल्ली से एक स्टेशनवेगन खरीद की थी? अगर हां, तो कब, कितनी व किस मूल्य में?

(2) क्या यह सही है कि खरीद में घोटाला होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं व उस पर डी. एस. ओ. व जोइन्ट रजिस्ट्रार ने जांच की थी? अगर हां, तो जांच रिपोर्ट्स की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट की गई थी? अगर हां, तो कब व किसके द्वारा व उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(4) क्या यह सही है कि इस संबंध में रकम वसूली के नोटिस जारी हुए थे? अगर हां, तो कितनी कितनी रकम के लिए किस किस के विरुद्ध? व उसका क्या परिणाम हुआ?

(5) जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

रानोली-गोरया स्टेशन के बीच रेल से कटने का मामला

697. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रानोली स्टेशन (सीकर) व गोरया स्टेशन के बीच जनवरी व फरवरी 69 ई. में कोई व्यक्ति रेल से कट कर मर गया? यदि हां, तो किस तारीख को किस समय व उसका पता क्या है, उसकी उम्र कटने की जगह व अभी बन रहे रानोली नदी के पुल से कितनी दूर है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मरने वाला व्यक्ति रानोली नदी पर बन रहे पुल पर खुद व उसकी मां व बहिन मजदूरी करते थे? यदि हां, तो कब से व उस रोज उनकी हाजरी दर्ज है क्या?

(3) क्या उपरोक्त संबंध में पुलिस ने जांच की थी? यदि हां, तो उसके मरने का क्या कारण पाया गया व जांच किस किस अधिकारी द्वारा की गई?

उत्तर

(1) दिनांक 14-2-69 को करीब 8-30 बजे सुबह श्री रामेश्वर पुत्र कानाराम

(गृह मंत्री)
उम्र 24 साल कौम आचार्य, निवासी रेवासा, गोरिया व रानोली के बीच नदी के पुल के पास रेल गाड़ी से कट कर मरा था।

(2) यह सत्य है कि मृतक रामेश्वर अपनी बहन के साथ करीब 3, 4 माह से पुल पर मजदूरी कर रहा था। दिनांक 13-2-69 तक की हाजरी दर्ज है।

(3) इस घटना की जांच श्री हामिद हुसैन मुख्य आरक्षक, इन्चार्ज चौकी गोरियां ने की, जांच से रामेश्वर का आत्म हत्या करना पाया गया।

डिसपोजल की जीपों व ट्रकों का रजिस्ट्रेशन

668. श्री रामसिंह कुडी (जायल): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान बोर्डर रोड प्रोजेक्ट द्वारा नई व डिसपोजल की जीपों, ट्रकों का ठेकेदारों के नाम रजिस्ट्रेशन किया उसमें काफी समय का रोड टैक्स आर. टी. ओ. आफिस जोधपुर, रजिस्टिंग ओथोरिटी जोधपुर व अन्य जिलों की रजिस्टिंग ओथोरिटीज ने माफ किया ? यदि हां, तो किस किस व्हीकल का, किस समय से किस समय तक का कितना रोड टैक्स किस रजिस्टिंग आथोरिटी ने किस तारीख को किस कारण से माफ किया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यदि बोर्डर रोड के किसी इंजीनियर के पत्र के आधार पर यह रोड टैक्स माफ किया गया है, तो उस इंजीनियर का नाम, पद व पत्र संख्या भी इस विवरण में अंकित करें एवं यदि अन्य कोई आधार हो, तो उसका भी विवरण बतावें।

(3) जिस ठेकेदार के नाम ऐसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस ठेकेदार का नाम मय वल्दियत, सकूनत, कौमियत भी बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा-कैथून वाया सांगोद सड़क की मरम्मत पर व्यय

699. श्री बृज बल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा से कैथून वाया सांगोद सड़क के संधारण का कितना बजट स्वीकृत है ?

(2) मंजूरशुदा बजट में से कितना रुपया खर्च किया गया और कितना शेष है ?

(3) क्या साल पूरा होने तक भी पूरा रुपया खर्च नहीं किया गया ?

(4) यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 68–69 के बजट में कोटा से कैथून वाया सांगोद रोड के नाम से

धनराशि स्वीकृत नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी दूकानों की नीलामी

700. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल जयपुर) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर सरकारी दूकानों के नीलाम करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कृपया इस निर्णय का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या इस निर्णय के लागू होने के पश्चात् सरकार ने किन्हीं स्थानों पर ऐसी दूकान एवं मकानों की सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही को रोक दिया है ? यदि हां, तो कहां कहां और क्यों ?

(3) इन निर्णयों के अनुसार अब तक कहां कहां नीलामी की कार्यवाही हुई ? इसमें कहां कहां कितनी दुकानें व मकान कितने कितने मूल्य में नीलाम हुए और कितने शेष रहे और क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों की प्रतिलिपि (परिशिष्ट 1 व 2) सदन की मेज पर दी गई है ।

(2) इस निर्णय के पश्चात् केवल बूंदी एवं किशनगढ़ में स्थित कुछ नजूल सम्पत्तियों की नीलामी अस्थाई रूप से रोक दी गई थी, स्थगन आदेश अब वापिस ले लिये गये हैं ।

(3) इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

भीलवाड़ा–जहाजपुर बस सर्विस

701. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा महुआ तहसील मांडलगढ़ में भीलवाड़ा से जहाजपुर वाया मानपुरा, काफोला होती हुई जो बस जाती है वह महुआ होकर नहीं जाती जबकि यह कस्बा मानपुरा के बहुत समीप है और आसानी से मानपुरा से महुआ होती हुई काफोला जहाजपुर जा सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि महुआ में व्यापारियों की बड़ी बस्ती है और आस पास भी कई गांव हैं जिसके कारण बस का वाया महुआ होकर जाना बहुत जरूरी हैं ?

उत्तर

(1) जी यह सही नहीं है ।

(2) चार बसें भीलवाड़ा बून्दी वाया बिगोव माडलगढ़-मानपुरा-महुआ-श्यामपुरा मार्ग पर चल रही है । ये बसें महुआ होकर आती हैं जो आबादी के लिहाज से काफी होती हैं । महुआ की जनता द्वारा इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

राजस्थान जलदाय कर्मचारी महा संघ द्वारा केन्टीन की व्यवस्था के लिए मांग

702. श्री महेन्द्र सिंह (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जलदाय कर्मचारी महा संघ जयपुर के अध्यक्ष ने मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग राजस्थान जयपुर को अमानीशाह के केन्टीन की व्यवस्था हेतु कोई पत्र दिनांक 22–1–69 को भेजा था जिसकी प्रतिलिपियां मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य मंत्री सतर्कता आयोग, अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोध विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता जलदाय विभाग नगर खण्ड जयपुर को भी भेजीं थीं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पत्र में प्रान्तीय नल मजदूर फेडरेशन व राष्ट्रीय नल मजदूर यूनियन के मन्त्री श्री मांगीलाल शर्मा तथा अमरचन्द पारीक पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी भवन को किराये पर देकर उसका किराया वसूल कर रकम को अपने निजी काम में ले लिया और सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया ?

(3) क्या यह सही है कि यूनियन के तथा फेडरेशन के मंत्रियों ने अधिशासी अभियन्ता नगर खण्ड जयपुर को अमानी शाह केन्टीन की व्यवस्था के सम्बन्ध में शर्तनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये और केन्टीन की व्यवस्था के लिए बनाई जाने वाली कमेटी की भी कोई मीटिंग आज तक नहीं की ?

(4) क्या यह सही है कि यूनियन व फेडरेशन के मंत्रियों ने अनधिकृत रूप से केन्टीन के सरकारी भवन को दौलत सिंह नामक ठेकेदार को 80 रु. माहवार पर किराये दे रखा है ? यदि नहीं, तो दौलतसिंह ठेकेदार उस भवन में केन्टीन किसकी इजाजत से चला रहा है और कब्जा किये हुए है ?

(5) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता ने यूनियन और फेडरेशन का सम्बन्ध इन्टक से होने के कारण उसके खिलाफ बजाय कानूनी कार्यवाही करने के संरक्षण दिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ऐसे अधिकारी और व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

खण्डार-कर्णपुर वाया महाराजपुरा बस का परमिट

704. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु.): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिस गाड़ी को सवाई माधोपुर जिले के ग्राम खंडार से कर्णपुर वाया महाराजपुरा तक बस का परमिट दिया गया है वह बस बिल्कुल ही नहीं चलती है ?

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

(2) क्या इस रूट के लिए अन्य बस को परमिट देकर जनता को सुविधा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) अन्य बस को परमिट देने के लिये अभी कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर आर. टी. ए. द्वारा परमिट देने के बारे में कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सरकारी कर्मचारी

705. श्री रामानन्द अग्रवाल:(अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एक राजनैतिक पार्टी घोषित कर दिया है और इसलिए अपने समस्त राज्य कर्मचारियों को इस दल की सदस्यता और गतिविधियों में भाग लेने से मना कर दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसी आशय का पत्र अन्य राज्य सरकारों को भी लिखा है और यह पत्र राजस्थान में भी राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार को उक्त निर्णय के संदर्भ में राज्य कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने या उसकी सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(21–3–69)

अधीनस्थ विभागों में अधीक्षक के पद पर पदोन्नति

445. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अधीनस्थ विभागों में अधीक्षक कार्यालय के पद पर पदोन्नत करने के क्या नियम हैं ? नियम सदन की मेज पर रखें।

(2) लिपिकों और स्टेनोग्राफरों के बीच वरिष्ठता किस प्रकार तय की गई है और उसके आधार क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ विभागों में 20 से 25 वर्ष तक की सेवा अवधि तक के वरिष्ठ लिपिकों को एवं सहायकों (मुख्य लिपिकों) को उपेक्षा करके कार्यालय अधीक्षकों के पदों पर स्टेनोग्राफरों को पदोन्नत किया गया है ?

(4) क्या स्टेनोग्राफरों और वरिष्ठ लिपिकों को कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लिये कोई अनुपात तय

(श्री रामानन्द अग्रवाल) (श्री गंगासहाय)

किया गया है ? विभिन्न विभागों में पिछले 2 वर्षों में स्टेनोग्राफरों और वरिष्ठ लिपिकों या सहायकों (मुख्य लिपिकों) में से कितने कितने लोगों को कार्यालय अधीक्षक बनाया गया है ? इन दोनों वर्गों की इन विभागों में संख्या कितनी कितनी थी ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्री गंगानगर में गन्ने का उत्पादन

544. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में गन्ना उत्पादकों द्वारा इस वर्ष कितना गन्ना उत्पादन किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि गन्ना व घास चारे का भाव बराबर ही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) गन्ने व चारे के भाव में कितना अन्तर है ? मूल्य की तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राजस्थान के गन्ना उत्पादकों को पंजाब के गन्ना उत्पादकों के बराबर गन्ने की कीमत देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में इस वर्ष 68–69 में किसानों द्वारा करीब 261000 टन गन्ने उत्पादन का अनुमान है।

(2) जी हां, यह सही है कि गन्ना तथा कड़बी का भाव 10) प्रति क्विंटल है तथा हरे चारे बरसीम का भाव 9) रु. प्रति क्विंटल है यह भाव इस समय बाजार में चल रहे हैं क्योंकि इस वर्ष वर्षा नहीं हुई और बारानी खेती में काश्तकार चारा नहीं ले सके। इस प्रकार चारे की कमी के कारण चारे के भाव तेज हैं। गन्ने का भाव गन्ना फैक्ट्री निर्धारित करती है तथा चारे के भाव मांग व सप्लाई पर निर्भर करते हैं।

(3) गन्ना व कड़बी का भाव इस समय 10) रु. प्रति क्विंटल है तथा हरी बरसीम का भाव 9) रु. प्रति क्विंटल है।

(4) गन्ना फैक्टरियों द्वारा राजस्थान व पंजाब के गन्ना उत्पादकों को एक सी दर पर कीमत दी जा रही है।

संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति के पद

545. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के स्वीकृत पद कितने हैं और कितने रजिस्ट्रार इस समय इस पद पर कार्य कर रहे हैं व कब से कार्य कर रहे हैं ? प्रत्येक को मासिक वेतन कितना मिलता है ?

उत्तर

राजस्थान में संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के स्वीकृत पद 3 हैं, इनमें से 2 पद स्टेट कोआपरेटिव सर्विस कैडर में हैं।

Page No 29

(सहकारिता मंत्री)

7 संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं, तथा एक प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। ये 11 संयुक्त रजिस्ट्रार जब से इस हैसियत से कार्य कर रहे हैं, तथा जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उसका विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "क" में अंकित किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

फील्डमैनों का स्थायीकरण

546. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कृषि विभाग में सन् 1961 के बाद नियुक्त किये गये जितने फील्डमैन थे उन सब का स्थायीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सन् 1961 के बाद जितने फील्डमैनों को जिन जिन स्कीम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है उनको वरिष्ठता एवं स्थायीकरण की स्ट्रेन्थ के अनुसार स्थायी कर दिया गया है। कुछ को अभी स्थायी किया जाना शेष है और उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

ट्रैक्टरों के अधिकृत विक्रेता

547. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अब राजस्थान में आयातित ट्रैक्टरों का व्यापार एग्रो-इन्डस्ट्रीयल कोरपोरेशन ही करेगा ? यदि हां, तो कब से ?

(2) राजस्थान में अब तक किन किन स्थानों पर किस किस ट्रैक्टर के कौन कौन अधिकृत विक्रेता हैं, और उनके पास कितने कितने ऑर्डर पेंडिग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन पेंडिग ऑर्डर्स का माल कौन वितरित करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां राजस्थान एग्रोइन्डस्ट्रीज (कृषि उद्योग निगम) की अभी तक स्थापना न होने की वजह से यह कार्य इस समय कृषि अभियान्त्रिकी मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

---

(2) राजस्थान में विभिन्न ट्रैक्टरों के निम्न अधिकृत विक्रेता हैं।

1.	मेसी फरगुसन	नेशनल मोटर्स, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर
2.	एस्कार्ट्स ट्रैक्टर्स	हिन्दुस्तान ओटोमोबाईल्स, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर
3.	हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स	(1) राजस्थान मोटर्स, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर

(कृषि मंत्री)

	(2) मैसर्स राजपूताना मोटर्स मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर
4. रसीयन डी. टी. 14 डी. टी. 28	माडर्न इन्जीनियरिंग कम्पनी, मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर
5. बेर्लर्स 48 एच. पी,	मार्डन इन्जीनियरिंग कम्पनी, मिर्जा स्माईल रोड, जयपुर

उपर्युक्त अधिकृत विक्रेताओं के पास जो पेंडिंग आर्डर्स हैं उसकी सूची राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(3) राज्य सरकार को उपर्युक्त ट्रैक्टरों में से केवल रसीयन डी. टी. 14 ट्रैक्टर ही प्राप्त हो रहे हैं। इस ट्रैक्टर के अधिकृत विक्रेता के पास जो पेंडिंग आर्डर्स हैं उनका वितरण केन्द्रीय सरकार के इस सम्बन्ध में उचित आदेश प्राप्त होने पर किया जायगा। अन्य निम्न ट्रैक्टर्स जो प्राप्त हो रहे उनका राजस्थान में इस समय कोई भी अधिकृत विक्रेता नहीं हैं।

1. रूमानीया यूरोज 50 अश्व शक्ति
2. जीटर 25 अश्व शक्ति चेकोस्लोवाकिया ट्रैक्टर
3. R. 509 इम्लीमेंट केरियर 25 अश्व शक्ति, जर्मन ट्रैक्टर

अलवर जिले में पम्पिंग सेट्स

548. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर जिले में 1967 से फरवरी, 1969 तक कितने पंपिंग सेट लगे हैं? इनमें कितने बिजली के हैं और कितने डीजल आइल से चलने वाले हैं? इनसे कितने एकड़ भूमि सिंचित होती है? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

जालौर जिले के नलकूप

549. श्री आईदान सिंह (भीनमाल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में कुछ नल कूप खोदे गये हैं? अगर हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त नल कूपों में से कितने नलकूप कमीशन पर दिये गये हैं?

(3) हर कमीशन्ड नलकूप पर कितने बीघे की सिंचाई हो रही है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, खोदे गये सफल नल कूपों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

इनमें से सामान्य कार्यों के लिये 25 हैं तथा अब तक 19 कमीशन किये जा चुके हैं।

(कृषि मंत्री)

कमीशन किये गये समस्त नलकूप वर्तमान में पीने के पानी के लिये उपयोग में लाये जा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

पशु चिकित्सालय कठूमर

550. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कठूमर (अलवर) में पशु चिकित्सालय बहुत पुराना होने पर भी उसे पूर्ण चिकित्सालय नहीं बनाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस चिकित्सालय में चीर फाड़ (सर्जरी) के केसेज अधिक आते हैं ? क्या चिकित्सालय में डाक्टर प्रतिदिन उपस्थित रहता है ?

उत्तर

(1) राज्य की आर्थिक कठिनाई के कारण कठूमर पशु औषधालय को चिकित्सालय में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(2) जी हां। इस औषधालय में साधारण चीर-फाड के केसेज ही अधिक आते हैं, तथा जिनको पंचायत समिति के कर्मचारी पशु पालन प्रसार अधिकारी की मदद से निपटा देते हैं, तथा पशुपालन प्रसार अधिकारी वहां प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं।

पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण

551. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान प्रान्त में कितने पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा हुआ है ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में राज्य सरकार द्वारा कुल 9 पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण किया गया है जिनकी कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

मकराना-डीडवाना व परबतसर-किशनगढ़ रेल्वे लाइन

552. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 23 मार्च, 68 को मेरे तारांकित प्रश्न नं. 785 के संदर्भ में मकराना से डीडवाना व परबतसर से किशनगढ़ तक रेल्वे लाइन जोड़ने के लिये भारत सरकार को लिखने के लिये विधान सभा में आश्वासन दिया गया था ?

(2) क्या राज्य सरकार ने रेल्वे लाइन का प्लान भेज दिया ? यदि हां, तो उस प्लान की कोपी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

निगम की दुर्घटना-ग्रस्त बसें

553. परसराम गंगाराम (परबतसर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री परसराम गंगाराम)

(1) गंगानगर जिले में कितनी रोडवेज की बसें चलाई गई हैं और निगम को कितना नुकसान हुआ है ?

(2) निगम को वर्ष 1967, 1968 व 1969 में कितनी आमदनी हुई और कितना घाटा हुआ ?

(3) आज दिन तक निगम की कितनी बसें बेकार हो गई हैं और कितनी खरीदी गई हैं ?

(4) आज तक निगम की कितनी बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं और उनसे कितने आदमी मर गये और उनके परिवारों को कितना मुआवजा निगम द्वारा दिया गया ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर में निगम द्वारा 53 बसें चलाई जा रही हैं और इनसे निगम को कोई नुकसान नहीं हुआ।

(2) सन् 1967, 1968 व 1969 में निगम को जो आय और लाभ या घाटा हुआ उसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	आय लाखों में	घाटा लाखों में व लाभ लाखों में
1966–67	159.19 लाख	20–26 लाख घाटा
1967–68	185.01 लाख	11–52 लाख घाटा
1968–69	224.48 लाख	5–97 लाख लाभ

(3) निगम के पास कुल 536 गाड़ियां हैं जिनमें से 206 ऑफ रोड़ हैं। इनमें से निगम के बनने के बाद 116 गाड़ियां खरीदी गईं।

(4) अब तक निगम की कुल 292 बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं जिनमें 60 जाने गईं: जिनमें से कुछ व्यक्तियों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं अदालत के निर्णय के बाद निगम भुगतान कर सकेगा। अभी तक निगम द्वारा 751)रुपये का भुगतान एक्स गैरेसिया रूप में दिया गया है।

लाडनूं क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय

554. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं, जिला नागौर में कौन-कौन से गांवों में किस-किस श्रेणी के औषधालय कब-कब से चल रहे हैं और उनको गत वर्ष और इस वर्ष कितनी कितनी दवाइयां दी गईं ?

(2) उक्त औषधालयों में किन-किन योग्यताओं का कौन-कौन सा स्टाफ है ?

(3) कस्बा लाडनूं में किस श्रेणी का आयुर्वेद औषधालय है और इतने बड़े शहर को देखते हुए क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस औषधालय को "अ" श्रेणी में बदला जावे।

(4) इस क्षेत्र के औषधालयों में किस किस में दवाइयों की कमी की शिकायतें रही हैं ?

(5) अगले वित्तीय वर्ष में कितनी कितनी दवाएं दी जावेंगी ?

Page No 33

(आयुर्वेद मंत्री)

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट (क) एवं (ख) पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट (ग) पर संलग्न है।

(3) लाडनूं में (सी) श्रेणी का औषधालय है। उच्चस्तरीयकरण के लिये बजट में प्रावधान स्वीकृत होने पर विचार किया जा सकता है।

(4) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) अगले वित्तीय वर्ष में (सी) एवं (बी) श्रेणी के औषधालयों को क्रमशः 1000) रु. एवं 2000) रु. की औषधियां वितरित की जाने का प्रावधान है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

सीमान्त क्षेत्र एवं प्रोजेक्ट क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को अलाउन्स

555. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 'ब' श्रेणी और 'स' श्रेणी के औषधालयों में 'ब' और 'स' श्रेणी के वैद्य नहीं रखे जाते? यदि हां, तो कहां कहां ऐसा है और क्यों?

(2) क्या आयुर्वेद औषधालय जो सीमान्त क्षेत्र एवं प्रोजेक्ट क्षेत्र में हैं उनमें कार्यरत कर्मचारियों को बोर्डर अलाउन्स और प्रोजेक्ट अलाउन्स नहीं दिया जाता? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या योग्यतम पंचवर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैद्यों को डाक्टरों के समक्ष वेतन नहीं मिलता? यदि हां, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

शिक्षा सत्र के दौरान कर्मचारियों के तबादले

556. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि शिक्षा सत्र के बीच किसी भी राज्य कर्मचारी का तबादला बिना किसी खास कारण के नहीं करना चाहिये और तबादला करते वक्त उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिये?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिलाधीश जालौर ने राज्य कर्मचारियों के तबादले माह नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी व फरवरी में किये हैं? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के और उस वक्त क्या उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रशासनिक कारणों से बहुधा स्थानान्तरण करने पड़ते हैं तथा उस समय शिक्षा सत्र के विषय में पूर्ण ध्यान रखना संभव नहीं है।

भूतपूर्व एडिशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट बीकानेर

557. श्री रामकिशन (बेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे––

(1) बीकानेर के भूतपूर्व एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट पी. सी. सिंघवी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कितने बार बैठे और कितने नम्बर के प्रयत्न में कौनसी तारीख को उत्तीर्ण हुए ?

(2) उक्त श्री सिंघवी का नम्बर उत्तीर्ण उम्मीदवारों में कौनसा था और कितने उत्तीर्ण उम्मीदवारों को सेवा में लिया गया ? क्या श्री सिंघवी को उनके साथ उत्तीर्ण हुए अन्य उम्मीदवारों के साथ ही सेवा में लिया गया ? यदि नहीं, तो उन्हें बाद में किस तारीख को लिया गया ? क्या इस तरह इतने अर्से बाद अन्य किसी उम्मीदवार का भी चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में करके उसे नियुक्त किया गया है ? इस चयन के लिये उन्होंने किस किस अधिकारी व मंत्रियों व राज्यपाल को मेमोरेण्डम पत्र दिये ? उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त श्री सिंघवी को राजस्थान प्रशासनिक स्कूल में ट्रेनिंग क्या उनके बाद के बैच के साथ दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त श्री सिंघवी की नियुक्ति के समय राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उनके बाद बैच का रिजल्ट निकल चुका था ? यदि हां, तो फिर श्री सिंघवी की नियुक्ति किस कानून व नियम के अनुसार की गई ? यदि नहीं, तो यह रिजल्ट श्री सिंघवी की नियुक्ति के कितने अर्से बाद निकला ?

(5) क्या इन परिस्थितियों में श्री सिंघवी की नियुक्ति करना कानूनी था ? और उनकी नियुक्ति के लिये राजस्थान सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा था ?

उत्तर

(1) श्री पी. सी. सिंघवी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये की गयी संयुक्त प्रतियोगिता में सन् 1957, 1958 एवं 1959 में बैठे। श्री सिंघवी सन् 1959 में हुई संयुक्त प्रतियोगिता में उत्तीर्ण घोषित हुए। इस प्रतियोगिता का परीक्षाफल दिनांक 16 सितम्बर, 1960 को घोषित किया गया।

(2) सन् 1960 की प्रतियोगिता में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची में श्री सिंघवी का नाम क्रम संख्या 34 पर था जबकि आर. ए. एस. के कुल 32 पद भरे जाने थे। उक्त सूची में से तीन उम्मीदवार जिनका नाम श्री सिंघवी से ऊपर था की नियुक्ति नहीं की गयी जिसका कारण यह है कि एक उम्मीदवार ने नियुक्ति लेना स्वीकार नहीं किया। दूसरा उम्मीदवार ईमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट में उत्तीर्ण होने से नियुक्त हो चुका था तथा तीसरा उम्मीदवार मेडीकल टेस्ट में पास नहीं हुआ। इस प्रकार श्री सिंघवी को 32 पदों में से एक पर नियुक्त होने का अवसर मिल गया। इस कारण श्री सिंघवी की नियुक्ति उनके साथ उत्तीर्ण अन्य उम्मीदवारों के साथ न की जाकर बाद में दिनांक 3–7–1961 को की गयी। इस बारे में श्री सिंघवी ने किन किन अधिकारियों को, मंत्रियों को एवं राज्यपाल को क्या प्रतिवेदन दिये राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

Page No 35

(श्री मुख्य मंत्री)

(3) जी हां। श्री सिंघवी को उनके बाद नियुक्त हुए बैच के साथ प्रशिक्षण हेतु अधिकारी प्रशिक्षणालय में भेजा गया क्योंकि उनके साथ के बैच के अधिकारियों का प्रशिक्षण श्री सिंघवी की नियुक्ति के पहले दिनांक 8–12–60 से प्रारंभ कर दिया गया था।

(4) श्री सिंघवी के बाद जिस बैच की नियुक्ति की गयी, उसका परीक्षाफल राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 11 अप्रेल 1961 को राज्य सरकार को भेजा गया था। इस बैच के उम्मीदवारों की नियुक्ति दिनांक 10–8–1961 की आज्ञा द्वारा की गई जबकि श्री सिंघवी की नियुक्ति इसके पूर्व दिनांक 3–7–1961 के द्वारा हो चुकी थी।

(5) उपरोक्त परिस्थिति में श्री सिंघवी की राजस्थान प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति बिल्कुल नियमानुसार थी। उनकी नियुक्ति की आज्ञा की प्रतिलिपि राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गयी थी।

कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिये निर्धारित योग्यताएं

558. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान सरकार में कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्त व इस पद से पदोन्नति करने के लिये क्या क्या योग्यतायें निर्धारित हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में कोई विभागीय परीक्षा की भी व्यवस्था है? यदि हां, तो यह कब से लागू की गई है?

(3) इस व्यवस्था के लागू होने के पूर्व जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर यह व्यवस्था किस नियम से लागू की गई है?

(4) राजस्थान में कनिष्ठ लिपिक के पद पर एम. ए. पास कितने अस्थाई कर्मचारी हैं और कब से?

(5) उनको स्थाई बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी की परीक्षा या उनके समकक्ष परीक्षा पास करना निर्धारित है।

अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों के पद से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए कनिष्ठ लिपिक के पद पर राज्य सेवा में कम से कम सात वर्षों का अनुभव होना चाहिए, किन्तु स्नातकों (ग्रेजुएट्स) को केवल तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक के पद से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

(2) विभागीय परीक्षा की व्यवस्था पहले थी, अब नहीं है।

(3) अधीनस्थ कार्यालयों में राजस्थान व अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग नियम

(मुख्य मंत्री)

1957 के नियम 7 के उपबन्ध 2 के अन्तर्गत तथा राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्ग नियम 1956 के नियम 7 के उपबन्ध 2 के अन्तर्गत लागू की गयी थी।

(4) उपलब्ध सूचना के आधार पर 17 एम० ए. पास हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) स्थायीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जायगी।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

मजिस्ट्रेट, एस. डी. एम. व कलेक्टरों के तबादले

559. राजवी श्री रूप सिंह (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एस. डी. एम. व कलेक्टर के तबादले जिस जिले में होते हैं वो वहां के कांग्रेस विधायकों व मंत्रियों की इच्छा व कहने के मुताबिक होते है और यही वजह है कि वो लोग जायज व नाजायज काम भी इन्हीं लोगों के कहने के अनुसार करते हैं ? और यदि उनके काम उनके कहने के अनुसार न करें तो फौरन वापिस तबादले हो जाते हैं ?

उत्तर

जी नहीं।

अधिकारियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों एवं जनहित की दृष्टि से किये जाते हैं।

केकड़ी नगर व सरवाड़ नगर को बनास योजना से पानी

560. श्री देवीलाल बुरासिया (केकडी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केकड़ी नगर व सरवाड़ नगर को बनास जल प्रदाय योजना में से जल देने की योजना है ? अगर हां, तो किस आधार पर ?

(2) क्या इस योजना के अन्तर्गत बीमा निगम से केकडी नगरपालिका व सरवाड़ नगरपालिका को कितना कितना रुपया अलाट हुआ ?

(3) बीमा निगम ये रुपया डाईरेक्ट नगरपालिका को देता है या नहीं ?

(4) इसने अभी तक दोनों नगरपालिकाओं को कितनी कितनी धनराशि दी है ? और बाकी की राशि कब तक दे दी जायेगी ?

(5) दोनों नगरपालिकाओं में ये कार्य कब से शुरू हो जायेगा और कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) केकड़ी नगर की स्वीकृत जल योजना में बनास जल प्रदाय योजना से जल उपलब्ध कराने का प्रावधान है और इसके लिये बनास योजना की जो 21 इंच की पाइप लाइन गुजर रही है उसमें से 10" की लाइन केकड़ी को जल उपलब्ध कराने के लिए डाली जावेगी। जहां तक सरवाड का प्रश्न है उसकी योजना बनाई जा रही है इस

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

योजना के लिये भी जल स्त्रोत बनास योजना की पाइप लाइन को ही चुना है ।

(2) केकडी जल प्रदाय योजना को कार्यान्वित करने के लिये जीवन बीमा निगम से इसे कार्यालय के मारफत केकडी नगरपालिका को 44,000) रु. अलाट हुआ है । सरवाड़ की योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं अतः जीवन बीमा निगम द्वारा कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है ।

(3) नगरपालिका के अनुरोध पर सीधे ही ऋण जीवन बीमा निगम से इस विभाग को प्राप्त हुआ हैं ।

(4) केकडी को इस वर्ष 44000) रु. की राशि स्वीकृत हुई है । सरवाड़ के लिए कुछ नहीं । बाकी की राशि के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(5) केकड़ी जल प्रदाय योजना का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा जैसे 2 धन उपलब्ध होगा कार्य पूरा किया जावेगा । इस वर्ष (1968-69) में इस योजना पर 66,000) रु. की धनराशि आवंटित की गई है । जो करीब करीब व्यय की जा चुकी है । सरवाड की योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है अतः कार्य शुरू किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूरजपोल गेट पाली के पास चमड़ा रंगने के कुण्ड

561. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका पाली के क्षेत्र में सूरजपोल गेट के पास ही जटिया जाति की चमड़ा रंगने को कुण्डें हैं? क्या यह भी सत्य है कि उन कुण्डों की बदबू से आसपास के सभी मोहल्ले पूरे परेशान हैं और सबके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार उनको कब तक शहर के बाहर ले जाने का प्रबन्ध कर सकेगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने इन कुण्डों के लिये पाली शहर से कुछ दूर सोजत सड़क के पास पूर्व में खसरा नम्बर 623 की 15 बीघा भूमि आबादी में कन्वर्ट कर जटिया जाति के लिये सुरक्षित करवाई थी ? यदि हां, तो नगरपालिका उस सुरक्षित भूमि में सूरजपोल जटिया जाति चमड़ा रंगने वालों को क्यों नहीं स्थापित करती ?

(3) क्या यह सत्य है कि इन गरीब जटिया जाति वालों की कदीमो से चमड़ा रंगने को कुण्डें अपने मकानों में ही हैं ? यदि हां, तो क्या उनको हटाने में व उक्त जगह पर स्थापित करने में कुछ आर्थिक मदद देगी ?

(4) क्या यह सत्य है कि चमड़ा व कुण्डों की सुरक्षा के लिए नगरपालिका पाली एक परकोटा पक्का, कुआ पक्का व होद बनाने का विचार रखती हैं ? और यदि हां, तो यह कब तक तैयार हो सकेगा और नहीं तो शहर के बाहर उनके चमड़ा वगैरा की सुरक्षा के लिये सरकार क्या इन्तजाम करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । नगरपालिका द्वारा

(स्वायत्तशासन मंत्री)
कार्यवाही की जा रही है।

(2) जो हां। जटिया जाति वाले उस स्थान पर जाने के लिये रजामन्द नहीं, इस लिये दूसरे स्थान के लिये नगरपालिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) स्थान का निर्णय अन्तिम रूप से हो जाने पर ही इस प्रकार के निर्माण सम्भव हो सकेंगे।

झालरापाटन व झालावाड़ नगर में पानी की व्यवस्था

662. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन व झालावाड नगर (जिला झालावाड) को पीने का शुद्ध पानी सफाई हेतु भवंरासा नदी से पाइप लाइन डाली जाकर कार्य पूरा किया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक वक्त पाइप लाइन द्वारा दोनों शहरों को पीने का शुद्ध पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि जिस जगह से पानी लाया जा रहा है वहां मोटरें पानी सप्लाई हेतु फिट कर दी गई परन्तु वे काम नहीं करती हैं ? यदि हां, तो यह क्यों ?

(4) इस योजना में राज्य सरकार का कितना पैसा लग चुका है ?

(5) क्या यह सही है कि किसी टेक्निकल कमी रह जाने के कारण ही पानी दिये जाने में दो साल हो गये और केवल आश्वासन दिये जाते रहे हैं ?

(6) क्या यह सही है कि जो पानी तालाब से दिया जा रहा है पीने के योग्य नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। पाइप लाइन डाली जा चुकी हैं। किन्तु अभी तक फिल्टररेशन प्लान्ट बिल्डिंग, सी. डब्लू. आर. और पम्प हाऊस निर्माण करने का कार्य शेष है।

(2) जी हां। पाइप लाइन का टेस्टिंग पूरे दबाव से नहीं हो सका था। अब पाईप लाइन का टेस्टिंग किया जा चुका है।

(3) जी नहीं मोटरें ठीक प्रकार कार्य कर रही हैं।

(4) 9,55,490) रु.

(5) जी नहीं, किसी भी तरह की तकनीकी कमी नहीं है, वरन् बरसात में मिट्टी अधिक आ जाने की वजह से फुटवाल का कार्य नहीं कर पा रहे थे अब इसका पूर्ण इन्तजाम कर लिया गया है और आगामी ग्रीष्म ऋतु में भंवरासा डेह से पानी वितरण किया जाने लगेगा।

(6) जी नहीं। तालाब के पानी को विकार रहित (शुद्ध) करके वितरण किया जाता है।

नोटिफाईड एरिया कमेटी सवाई माधोपुर द्वारा लीज पर दी गई भूमि

563. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने

(श्री हरि वल्लभ शर्मा)
की कृपा करेंगे:——

(1) क्या यह सही है कि नोटिफाईड एरिया कमेटी सवाई माधोपुर ने सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर को रोजेरी (गुलाबबाड़ी) के लिये आबादी की जमीन लीज पर दी है ? यदि हां, तो यह जमीन कितनी कब किन किन शरायतों पर दी गई ? कृपया नोटिफाइड एरिया कमेटी के प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नोटफाईड एरिया कमेटी ने इस लीज पर दी गई भूमि पर फैक्ट्री के किस अधिकारी को कब कब्जा दिया और इसके प्रमाण में फैक्ट्री के प्रतिनिधि से लिखित में भी लिया गया या नहीं ? यदि हां, तो उस दस्तावेज की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस जमीन का अमाउन्ट आफ लीज शरायत के अनुसार तय किया जा चुका है और फैक्ट्री से लीज डीड भी लिखाया जा कर रजिस्ट्री करा लिया गया है ? यदि हां, तो उस डीड की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) इस लीज पर दी गई जमीन का सालाना क्या लीज अमाउन्ट बनता है और इसकी जमा कराने की क्या तिथि निश्चित की गई है ?

उत्तर

(1) पड़त भूमि दी गई है। शरायत संबंधी व अन्य सूचनाएं संलग्न हैं। प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) नोटिफाईड़ एरिया कमेटी की बैठक में ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी गई थी। भूमि जो लीज पर दी जाने वाली थी उसका नक्शे में ही मार्किंग किया गया था। एग्रीमेन्ट अब लिखवाया जावेगा। कम्पनी से जो दस्तावेज लिखवाई गई है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं कार्यवाही जारी है।

(4) नोटिफाईड एरिया कमेटी की मीटिंग में यह तय पाया था कि शहरी जमांबन्दी मालूम कर अमाउन्ट तय किया जावे। जिसकी जानकारी मालूम करने की कार्यवाही की जा रही है। सूचना प्राप्त हो जाने पर लीज अमाउन्ट बताया जा सकेगा।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

नगरपालिका लाडनूं द्वारा आबादी भूमि का विक्रय

564. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं द्वारा आबादी भूमि का विक्रय किया जाता है उसके बेचान की स्वीकृति जिलाधीश से लेनी होती है ? यदि हां, तो नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर ने सन् 65-66 से लेकर अब तक कुल कितनी जमीनें बेची जिसमें किन किन में जिलाधीश की स्वीकृति ली और

(श्री हरजीराम बुरडक)
किन किन में नहीं ली ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त गलत कार्यवाही के सम्बन्ध में सरकार ने किस को दोषी पाया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) अब इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 200) रुपयों से ज्यादा मूल्य की भूमि विक्रय की स्वीकृतियां जिलाधीश या राज्य सरकार से जैसा कि प्रावधान है प्राप्त करनी होती है। सूची चाही गई सूचनाओं सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कौन दोषी हैं यह निर्णय होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) प्रश्न के भाग 2 में उत्तर दे दिया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बारां नगर की नल योजना

565. श्री देवी दत्त गाड़िया (बारां): क्या जल प्रदाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां नगर के लिए जो नल योजना स्वीकृत हुई है वह कितने रुपयों की है और उसको चालू करने संबंधित अब तक क्या क्या कार्यवाही प्रारम्भ करदी गई है ?

(2) इस योजना को कब तक पूरा कर दिया जावेगा तथा इस वर्ष कुल कितना रुपया किस किस प्रकार से खर्च किया जावेगा ?

उत्तर

(1) योजना की अनुमानित लागत 19.60 लाख रुपये हैं। योजना में काम आने वाले पाइप्स की खरीद की जा रही है।

(2) धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर योजना को 3 वर्ष में पूर्ण किये जाने की आशा है। इस वर्ष (1968–69) में इस योजना पर 1.65 लाख रुपयों का प्रावधान हैं जिसमें 1.10 लाख रुपये जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण तथा 0.55 लाख रु० राज सरकार का अंश। यह रुपये पाइपों की खरीद में व्यय किये जा चुके हैं।

बंगलों का अलाटमेन्ट

566. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने बंगले हैं ? उनका एलाटमेन्ट किस आधार पर किया जाता है ? अभी ये बंगले किन किन व्यक्तियों को कितने कितने किराये पर दिये हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये बंगले किसी भी व्यक्ति को किराये पर दिये जा सकते हैं, और सरकार की आवश्यकतानुसार खाली करवाये जा सकते है ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) ए श्रेणी से ई श्रेणी तक 193 बंगले हैं। इनका अलॉटमेन्ट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) ये सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)।

रतनगढ़-सालासर मार्ग पर रेल्वे लाइन के नीचे पुल बनाने की स्वीकृति

567. श्री लालचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या रतनगढ़ से सालासर जाने वाले मार्ग पर रेल्वे लाइन के नीचे से पुल बनाने की सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है ? अगर हां, तो कार्य कब शुरू करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

बारां में गटर में कार्य करते समय मृत्यु

568. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां सार्वजनिक निर्माण विभाग के हरिजन कर्मचारी श्री राजेन्द्र पुत्र श्री अमरलाल की दर्दनाक मृत्यु बारां अस्पताल के गटर में कार्य करते हुए हो गई है ? यदि हां, तो यह मृत्यु किस कारण से हुई और क्या इसकी जांच भी कराई गई थी ?

(2) क्या सरकार ने उस मृत कर्मचारी के परिवार को क्षतिपूर्ति दी है ? यदि हां, तो कब कितनी और यदि नहीं तो क्यों और अब कब तक दी जावेगी ?

उत्तर

स्थगित किया गया।

थाना कैथून में दर्ज मारपीट का मामला

569. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि थाना कैथून, तहसील लाडपुरा में 2 जनवरी 1969 को हैड कान्स्टेबल कन्हैयालाल द्वारा तफतीश के सिलसिले में मारपीट का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि मुलजिम लोग मजदूर थे जो अन्य जगह चले गये हैं और उनके समय पर न पहुँचने से यह मुकदमा सरसब्ज होने में बाधा होगी ?

(3) इस मुकदमें में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कौन कौन मुलजिम गिरफ्तार किए गए ? यदि नहीं किये गये तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त केस के अभियुक्त मजदूर थे। जो घटना के बाद भाग चुके हैं। इससे अन्वेषण पूर्ण करने में देरी व कठिनाई

(गृह मंत्री)
होना स्वाभाविक है ।

(3) अभियोग पंजीबद्ध करने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और चश्मदीद गवाहान के बयान लिये जा चुके हैं । अभियुक्तगण घटना के बाद ही भाग चुके थे । इस कारण उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की जा सकी है । उनकी तलाश जारी है ।

थाना असनावर में दर्ज चोरी का मामला

570. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री रामकरन महाजन ग्राम पनवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ के यहां ता. 3-11-68 को चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट थाना असनावर म की गई थी ? यदि हां तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि फरियादी ने चोरी करने वाले का नाम भी बताया है और गवाह को भी जिसने चोरी करते हुये भागते हुये को देख लिया ?

(3) कितने माल की चोरी हुई और मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार न करने की क्या वजह है और चालान कब होगा ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री रामकरण महाजन तारीख 4–11–68 को आरक्षी केन्द्र असनावर में चोरी की रिपोर्ट करने गया था लेकिन एस. एच. ओ. ने अभियोग पंजीबद्ध नहीं किया । इसके पश्चात् प्रार्थी ने अधीक्षक आरक्षी मण्डल झालावाड़ को दिनांक 11–2–69 को परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर वृत्त अधिकारी इकलेरा द्वारा जांच कराई गई तो जांच से पाया गया कि श्री रामकरण ने चोरी की रिपोर्ट दिनांक 4–11–68 को आरक्षी केन्द्र असनावर में दी थी । लेकिन एस. एच ओ. ने अभियोग पंजीबद्ध नहीं किया । इस आरोप के बाबत एस. एच. ओ. के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । अब अभियोग संख्या 5 दिनांक 25–2–69 धारा 457।380 ता. हि. में पंजीबद्ध किया गया है । जिसका अनुसंधान एस. एच. ओ. बकानी कर रहे हैं ।

(2) फरियादी ने अपने कथन में यह कहा था कि घटना के दूसरे दिन भैरू माली ने उससे कुछ कहा था परन्तु भैरू माली की मां ने पूरी बात नहीं कहने दी । घटना के दो या ढाई माह बाद भैरू माली व भंवरलाल चौकीदार के झगड़ा होने पर भैरू माली ने कहा था कि भंवरलाल चौकीदार ने चोरी की है । गवाह भैरू माली ने अपने कथन में यह दर्ज करवाया है कि भंवरलाल चौकीदार को घटना की रात्रि को 2 बजे सेठ रामकरण के घर से निकलते देखा था ।

(3) कुल 567) रु. की सम्पत्ति चुराई है जिसमें (जेवर एवं कपड़े हैं) यह अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि चालान कब होगा क्योंकि अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है ।

नायब तहसील बिजोलिया में पटवारी की पिटाई

571. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 43

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(1) क्या यह सही है कि फरवरी 1969 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नायब तहसील बिजोलिया में किसी पटवारी को पीटा गया और पटवारी के दांत टूट गये ?

(2) यदि यह सही है तो पीटने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

(3) क्या यह सही है कि इस तरह की घटना से बिजोलिया में भारी आतंक फैल रहा है और इस तरह की हरकत करने वालों की बन आई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस सम्बन्ध की इत्तला प्राप्त होने पर मुकदमा नं० 10 दिनांक 14-2-69 धारा 452।333।379 ता० हि० पंजीबद्ध हुआ व दोनों मुलजिमान को दिनांक 14-2-69 को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

बिजोलिया में डाक्टर की पिटाई

572. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुछ महीनों पूर्व बिजोलिया (त. मांडलगढ) में सिनेमा घर में कुछ लोगों ने डाक्टर को पीटा ?

(2) यदि यह सही है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि बिजोलिया में भले आदमी का जन–जीवन संकट में है और वहां की पुलिस पूर्णतया अकर्मण्य है ?

उत्तर

1. जी हां। यह सही है कि दिनांक 12-10-68 को रात्रि के 9-1।2 बजे के करीब बिजोलिया के सिनेमा घर में झगडा हो जाने के कारण डा. श्री महेन्द्रसिंह त्यागी के चोटें आई।

2. इस सम्बन्ध में झगडा करने वाले व्यक्ति (1) श्री शंकरलाल (2) रामेश्वर लाल (3) नंदलाल सुनार निवासी बेगूं के विरुद्ध अभियोग संख्या 41 दिनांक 14-10-68 अपराध धारा 147।323 ता. हि. में पंजिबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान दिनांक 26-11-68 को न्यायालय में चालान किया गया है तथा शान्ति कायम रखने के लिए भी उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध 107 जा. फो. का इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3. जी नहीं। बिजोलिया में भले आदमी का जन–जीवन संकट में हो, ऐसी बात नहीं है। स्थानीय पुलिस कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूर्ण रूप से सजग है।

केकडी में मोसर के मामले

573. श्री देवीलाल बुरासिया (केकडी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकडी थाना सर्किल में दिनांक 1-1-67 से 1-1-69 तक कितने मोसर (गंगोज) की रिपोर्ट केकडी तहसीलदार

Page No 44

(श्री देवीलाल बुरासिया)

द्वारा केकड़ी पुलिस स्टेशन पर दी गई ?

(2) क्या पुलिस द्वारा उन रिपोर्टों की जांच की गई ? अगर हां, तो क्या परिणाम निकला ?

(3) क्या बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के पुलिस पहले भी जाकर माल कुर्क कर सकती है ?

उतर

1. थाना केकड़ी जिला अजमेर में दिनांक 1-1-67 से 1-1-69 तक केवल एक गंगोज होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

2. जी हां।

3. उपरोक्त रिपोर्ट की जांच भारसाधक पदाधिकारी, थाना केकड़ी द्वारा की गई, परन्तु जांच से कानून का उल्लंघन होना नहीं पाया गया।

4. जी हां।

छीपाबड़ौद थाना में ग्राम पंचायत के संरपंच एवं पंचों द्वारा दर्ज मामले

574. श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि फरवरी 69 में छीपाबड़ौद में ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचों द्वारा कुछ व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना छीपाबड़ौद में केस दर्ज रजिस्टर करवाये हैं ? यदि हां, तो कब व किन किन के विरुद्ध और कौन कौन से जुर्म में मुकदमें दर्ज रजिस्टर हुए हैं ? तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

जी हां। माह फरवरी सन् 1969 में ग्राम पंचायत ग्राम छीपाबड़ौद के सरपंच द्वारा सिर्फ एक अभियोग संख्या 29 राव राजा शंकरसहाय सिरोहिया के विरुद्ध पंचायत की भूमि पर नाजायज कब्जा करने के विषय में दिनांक 23-2-69 को अपराध इ. द. 447 ता. हि. थाना छीपाबड़ौद जिला कोटा में पंजीबद्ध कराया गया था।

इस अभियोग के अनुसंधान से 10 फुट जमीन पंचायत पर नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(6-?-69)

65. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अनेक सरकारी कार्यालय किराये के मकानों में चल रहे हैं ? यदि हां, तो राजस्थान निर्माण के बाद अब तक कौन कौन से कार्यालय कब कब से किन किन के मकान में कितने कितने किराये पर हैं ?

सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान बनने के बाद अब तक सरकारी कार्यालयों के लिये किराये पर लिये गये मकानों का किराया किस किस

(श्री हरजीराम बुरड़क)
व्यक्तियों को कितना कितना रुपया किस किस वर्ष में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(21-3-69)

कोआपरेटिव कन्जूमर स्टोर

307. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से संबन्धित कितने कोआपरेटिव कन्जूमर स्टोर्स विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं ?

(2) कितने ऐसे जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार हैं जिनका संबंध राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से नहीं है ? ये भण्डार किन किन जिलों में काम कर रहे हैं इनमें किस किस ग्रेड के अफसर लगाये हुए हैं और उन पर कितना कितना खर्चा आता है ?

(3) प्रश्न के भाग (1) व (2) में बताये गये भंडारों में शेयर कैपीटल व सबसीडी की कितनी कितनी रकम अलग अलग भंडार पर लगी हुई है ? इन भंडारों में से कितने कितने भंडारों में कितना कितना नफा या नुकसान हुआ है और अब उनकी आर्थिक स्थिति क्या है ?

(4) राज्य में सहकारी उपभोक्ता भंडारों की स्थापना का क्या उद्देश्य है और बाजार में भावों को कन्ट्रोल करने में कहां तक कामयाब हो सके हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से संबंधित 10 कोआपरेटिव कन्जूमर्स स्टोर विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं।

(2) जिला सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार हैं, जिनका सम्बन्ध राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से नहीं है, ये भण्डार जिन जिन जिलों में काम कर रहे हैं तथा इनमें किस किस ग्रेड के अफसर लगाये हुये हैं, और उन पर जितना जितना खर्चा आता है, के सम्बन्ध में सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(3) प्रश्न के भाग (1) व (2) में बताये गये भण्डारों में शेयर कैपीटल व सबसीडी की जितनी जितनी रकम अलग अलग भण्डारों पर लगी हुई है, के बारे में सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है, इन भण्डारों में से जिन जिन भण्डारों में जितना जितना नफा नुकसान हुआ है, के बारे में सूची परिशिष्ट "स" संलग्न है, इस परिशिष्ट से भण्डारों की आर्थिक स्थिति भी स्पष्ट है।

(4) राज्य में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना का उद्देश्य सहकारिता के आधार पर उपभोक्ताओं की सेवाएं करना है। तथा इसके लिये प्रयत्न करना है कि उपभोक्ताओं को शुद्ध वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकें। बाजार में बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में भी उपभोक्ता भण्डारों का हाथ रहा है। जिससे कि जनसाधारण का शोषण न हो। जहां तक वस्तुओं के भावों के कन्ट्रोल करने का प्रश्न है, भण्डारों द्वारा दुर्लभ पदार्थ जैसे वनस्पति घी, साईकिल ट्यूब टायर, वगैरह का कोटा होलसेल भण्डारों को प्राप्त होता है और समुचित वितरण सारे राजस्थान में इन

Page No 46

(सहकारी मंत्री)

भण्डारों के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जल भण्डार अन्य वस्तुओं के वितरण का कार्य करते हैं। इस प्रकार विक्रय से वस्तुओं के भावों का बाजार पर भी असर रहता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्थगित प्रश्न

(26-3-69)

बारां नगर में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कार्यवाही

437. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में आने वाली भयंकर बाढ़ को रोकने के लिये नगरपालिका व नागरिकों की ओर से कोई सुझाव सरकार के पास भेजे गये हैं?

(2) उपरोक्त राशि किन किन वर्षों के आडिट आक्षेपों के आधार पर किन किन विषय की वसूल की जाती है?

(3) इतने लम्बे समय तक रकम वसूल नहीं होने के क्या कारण हैं और अब तक वसूली के लिये क्या क्या उपाय किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अब यह राशि कब तक वसूल होकर जमा हो जावेगी और वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी है?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(11-3-69) व (25-3-69)

अस्थाई कर्मचारी

147. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग में कितने कर्मचारी अस्थाई रूप से कब कब से कार्य कर रहे हैं? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) यह नियुक्तियां किस प्रक्रिया के आधार पर की गईं?

(3) इन अस्थाई कर्मचारियों में कौन कौन कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी 6 माह के बाद में सेवाकाल में वृद्धि की जाती रही है? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखें जिसमें यह बताया जावे कि ऐसे कर्मचारियों की विभाग में प्रथम बार नियुक्ति कब की गई और उनके सेवाकाल में कब कब वृद्धि की गई?

(4) विभाग ने किन किन कर्मचारियों के सेवाकाल में कितने कितने समय का और क्यों इन्टरप्शन को कन्डोन किया गया है? तालिका सदन की मेज पर रखें और यह बतावें कि इन कर्मचारियों कि नियुक्ति कब कब को गई और इनको कब स्थायी किया गया है?

(स्थगित किया गया)

Page No 47

स्थगित प्रश्न

(15–3–69)

समाज कल्याण कार्यों पर खर्च हुई राशि

403. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सन् 1962 से 1968 तक समाज कल्याण कार्यों पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ? जिला व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(26–3–69)

कोटा जिले में चोरियों आदि के मामले

409. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में गत तीन वर्षों में कितने कितने रुपयों की किस किस स्थान पर कितनी कितनी डकैतियां, चोरियां, नकबजनियां एवं डाकुओं द्वारा नागरिकों को उठा कर ले जाने की घटनाएं हुईं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त अवधि में हुई चोरियां, नकबजनियां व डकैती में से कितनी चोरियों, नकबजनियों व डकैतियों का माल मय अपराधियों के साथ बरामद हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में उक्त अवधि में औरतों को फरार करके ले जाने की घटनाएं भी हुई हैं ?

(4) यदि हां, तो किस किस स्थान से महिलाओं को फरार करके ले जाया गया और पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

(11.37 म. प.)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, वित्त मंत्री महोदय !

श्री मथुरादास माथुर : (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा 26 (6) के अन्तर्गत वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना सख्या जी. एस. आर. 4, दिनांक 1 मार्च, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, 1955 में और संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 19, दिनांक 25 मार्च, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 9 ए, दिनांक 7 मार्च, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, 1955 में और संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष :

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (सभापति,

Page No 48

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के सातवें और आठवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष :

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्रीमती गौरी पूनियां।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत बाड़मेर नगर में विद्युत् की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति का और विद्युत् मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, मैं इसके बारे में सदन के समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूं।

बाड़मेर नगर बाड़मेर जिले का हैडक्वार्टर है और सीमावर्ती नगर होने के कारण इसका विशेष महत्व है। मैं सदन में बार बार कह चुका हूँ कि इस बाड़मेर जिले की राज्य सरकार ने घोर उपेक्षा की और यह स्थिति पैदा हुई कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति व्यय सबसे कम बाड़मेर जिले में हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना, इन तीनों योजनाओं में बाड़मेर जिले में सबसे कम खर्च हुआ है और इस प्रकार बाड़मेर जिले को उदासीनता की दृष्टि से देखा गया। अब मैं विशेष तौर पर मेरे विषय पर आना चाहता हूं कि विद्युत् की दृष्टि से भी बाड़मेर जिले की घोर उपेक्षा की गई है। बाड़मेर जिले में 5 तहसीलें हैं, उन 5 तहसीलों में से 3 तहसीलों में अब तक कोई विद्युत् की व्यवस्था नहीं है। बाड़मेर जिले में 8 पंचायत समितियां हैं जिनमें से 5 पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स पर कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार बाड़मेर जिले में पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स पर तहसीलों के हैड क्वार्टर्स पर और बाड़मेर नगर में भी इस बिजली के बारे में घोर अव्यवस्था के कारण हमारे यहां हमेशा पानी का संकट सामने आता रहता है। सन् 1965 से पहले इस विद्युत् की व्यवस्था नगरपालिका करती थी और उसके सीमित साधन थे परन्तु तब भी वह कोशिश करके उस विद्युत् की व्यवस्था में कुछ न कुछ कार्य करती थी। परन्तु उसके बाद में 65 में जब कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस समय हमारे बोर्डर कमिश्नर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन श्री खुराना साहब है, उन्होंने कहा था कि रक्षा के दृष्टिकोण से बाड़मेर का पॉवर हाउस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया जाना चाहिये। वहां भी नगरपालिका ने उसे मान लिया और हमें विश्वास हुआ कि हमारा विद्युत् संचालन का भार ऐसे बोर्ड के पास, जिसके पास बहुत ही साधन हैं, उसके हाथ में आयें तब यह हमारी समस्या हल हो सकेगी। परन्तु मैंने देखा कि 65 से लेकर बराबर जनवरी, 1969 तक इसको कोई व्यवस्था नहीं हुई है, बाड़मेर नगर का 3/4 हिस्सा अन्धकार में रहता था और पानी की हमेशा भयंकर समस्या बनी रहती था।

Page No 49

(श्रीवृद्धिचन्द जैन)

अब सवाल यह आता है कि बाड़मेर की पानी की समस्या के साथ विद्युत् का क्या सम्बन्ध है। बाड़मेर में पानी बातिया और बाडका से आता है जो पॉवर हाउस से सम्बन्धित हैं, इसलिये पानी की भयंकर अव्यवस्था रहती है। 12-1-69 को मेरे निवेदन करने पर हमारे विद्युत् मंत्री जी वहां पधारे और उन्होंने भी हमारे पॉवर हाउस की स्थिति देखी और उस पॉवर हाउस में यह व्यवस्था थी कि 12 डीजल सेट थे, और सब के सब पुराने, कोई केरल से आया हुआ, कोई उदयपुर से आया हुआ, कोई राणा प्रताप सागर डेम से लाया हुआ, जितने पुराने डीजल सैट्स थे वे सब वहां इकट्ठे किये थे और उन 12 में से केवल 3 वर्किंग आर्डर में लिये हुए दूसरे पार्ट्स लगा कर घिसे पिटे चल रहे थे।

तो इस प्रकार की दुर्व्यवस्था देख कर उन्होंने खुद ने भी यह महसूस किया कि इस बारे में कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। उन्होंने उस समय आदेश भी दिये। उसके कारण मार्च में स्थिति में सुधार हुआ। परन्तु कल मुझे समाचार मिले कि इस विद्युत् के बारे में फिर अव्यवस्था हो रही है। दो तीन घण्टे शहर में विद्युत् नहीं आती है इससे प्रकाश और पानी की व्यवस्था में भी फर्क पड़ा है। मैं समझता हूं कि यह जो व्यवस्था है वह पुराने सेटों के कारण है। कोई दस वर्ष पुराना सेट है तो कोई पांच वर्ष पुराना सेट है।

(11.40 म. पू.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभापति पदासीन)

घिसे पिटे पार्ट्स लगाकर विद्युत् की व्यवस्था करना यह कोई मामूली व्यवस्था नहीं है।

अभी बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 500 किलोवाट की व्यवस्था करके कुछ बिजली के लिये सुधार किया जावेगा। इससे कुछ आशा बंधी है। परन्तु यह कब होगा ? मैं चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो। पॉवर हाउस शहर के बीच में है। उसके भवन की हालत बड़ी दयनीय है। शहर के लोगों को इससे बड़ा डिस्टरबेन्स होता है। उनकी शिकायत रहती है कि इस डिस्टरबेन्स के कारण ठीक ढंग से उनका कार्य नहीं चलता है। पहले पहल आप यह कोशिश कर रहे हैं कि नया पॉवर हाउस बना कर उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके नया 500 का सेट ला रहें हैं लेकिन उससे भी व्यवस्था नहीं हो सकेगी। एक सेट रखा और वह खराब हो गया और उसकी जगह आल्टरनेट सेट नहीं रखा तो यह व्यवस्था जमेगी नहीं इसलिये मैं चाहता हूं कि पांच पांच सौ किलोवाट के दो सेट की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि इसकी ठीक व्यवस्था हो सकेगी। इस बिजली पर ही बाड़मेर नगर की पानी की व्यवस्था निर्भर है। बाड़मेर नगर को ही नहीं आस–पास के क्षेत्रों को भी पानी दिया जा रहा है। पानी की इस जिले में बड़ी रुकावट है, बहुत तंगी है। पॉवर का सम्बन्ध जल समस्या से भी है। इसलिए इस समस्या को पूरी दिलचस्पी के साथ स्थायी तौर पर हल नहीं किया जावेगा तब तक कोई मुकम्मिल व्यवस्था नहीं हो सकती।

मुझे दुख के साथ और खेद के साथ

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कहना पड़ता है कि हमारे यहां असिस्टेन्ट इन्जीनियर का ओफिस था वह भी हटा दिया गया है। बाड़मेर नगर जिले का हैडक्वार्टर है। 36 हजार की आबादी है। इस पॉवर हाउस से बिजली और पानी की व्यवस्था होती है और यदि इसको एक्सटेन्ड करते हैं तो ऊन उद्योग भी स्थापित किया जा सकता है। जो कारखाना चल रहा है उसको भी सहयोग दिया जा सकता है। हर तरह से बिजली की व्यवस्था से यह क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। अभी तो हालत यह है कि चक्कियों को भी बिजली नहीं मिलती है। मैं यह चाहता हूं कि नया पॉवर हाउस बनाया जाय, 500 किलोवाट सेट के लिए सरकार ने आश्वासन दिया है, एक 500 किलोवाट सेट की और व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही असिस्टेन्ट इन्जीनियर का पोस्टिंग किया जाय। स्टाफ भी योग्य रखा जाना चाहिये। तीन वर्ष से वहां पर टैक्निकल स्टाफ ठीक नहीं होने से यह हालत हुई है। विद्युत् मंत्री जी पधारे उसके बाद स्टाफ में परिवर्तन हुआ है। और भी टैक्निकल स्टाफ में परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं यह चाहता हूँ कि जो वर्तमान स्थिति है उसको पूरी तरह से सुधारने की कोशिश की जाय और बाड़मेर नगर की विद्युत् की व्यवस्था को ठीक करके इस समस्या को हल करने का पूरा प्रयास किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करते हुए विद्युत् मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय विद्युत् मंत्री जी।

विद्युत् मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : सभानेत्रीजी, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्रजी ने बाड़मेर नगर और आसपास के क्षेत्रों की बिजली के सम्बन्ध में इस सदन के नियमों के अन्तर्गत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अपने भाषण में स्वयं स्वीकार किया है कि विभाग की ओर से कुछ प्रबन्ध किये गये हैं और अब समस्या जितनी गंभीर पहले थी उतनी गंभीर नहीं रही है।

यह बात सही है कि बाड़मेर का पॉवर हाउस सन् 65 से पहले म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत चलता था और उसके बाद इस पॉवर हाउस को विद्युत् मण्डल ने अपने कब्जे में लिया। विद्युत् मण्डल द्वारा अपने कब्जे में लेने के बाद इसमें लगातार इन्जन्स की बढ़ोतरी की गई। इस सम्बन्ध में मैं सदन को तथ्यों की जानकारी देना चाहूँगा। विद्युत् मण्डल द्वारा 4 संयंत्र लगाये गयेः—

1.	लिस्टर	33	के. वी. ए.
2.	लिस्टर	22	के. डब्ल्यू.
3.	लिस्टर ब्लेक स्टोन	78	के. डब्ल्यू.
4.	लिस्टर ब्लेक स्टोन	78	के. डब्ल्यू.

उपरोक्त 4 संयंत्रों में से प्रथम दो पूर्ण जीर्ण शीर्ण थे। इसलिये बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये राजस्थान के अन्य विद्युत् गृहों से समय समय पर संयंत्र स्थानान्तरित किये गये जिसके फलस्वरूप बाड़मेर विद्युत् गृह की प्रतिष्ठापित क्षमता इस प्रकार से हो गई।

(श्री शिवचरण माथुर)

1. लिस्टर ब्लेकस्टोन	78	के. डब्ल्यू.
2. लिस्टर ब्लेकस्टोन	78	के. डब्ल्यू.
3. केस्टर पिल्लर	100	के. डब्ल्यू.
4. केस्टर पिल्लर	50	के. डब्ल्यू.
5. एम. ए. एन.	120	के. डब्ल्यू.
6. क्युमिनस नं. 1	88	के. डब्ल्यू.
7. क्युमिनस नं. 2	88	के. डब्ल्यू.
8. क्युमिनस नं. 3	88	के. डब्ल्यू.
9. एम. ए. एन.	104	के. डब्ल्यू.
10. लिस्टर ब्लेक स्टोन : ई. बी. एस. 8	300	के. डब्ल्यू

उपरोक्त संयंत्रों में से प्रथम दो उसी समय से हैं जिस समय से विद्युत् गृह नगरपालिका द्वारा चलाया जा रहा था। तीन क्यूमिन्स डीजल उत्पादक संयत्र सन् 1967-68 में अकाल सहायता योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग से सन् 1967-68 में खरीद कर चलाये गये थे। और संयंत्र विभिन्न विद्युत् गृहों से समय समय पर यहां स्थानान्तरित किये गये। अन्तिम लिस्टर ब्लेक स्टोन संयंत्र रावत भांटा से स्थानान्तरित करके सितम्बर 1968 में चलाया गया। क्योंकि इनमें अधिकतर संयंत्र पुराने हैं अस्तु इनकी क्षमता कम है। वहां की मांग को ध्यान में रखते हुए 2 क्यूमिन्स इंजन के अतिरिक्त भागों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों इंजनों का जीर्णोद्धार करके इन्हें पुनः चला दिया गया है जो कि अनुमानतः 6 माह से बन्द थे। कुछ और अतिरिक्त भाग बाहर से आयात करने हैं। जिनके लिये आयात लाइसेन्स प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उत्तरलाई हवाई अड्डे के निर्माण काल में इसके कार्य के लिये जल प्रदाय विभाग को 1.5 लाख गैलन प्रतिदिन पानी देना था। इस कारण जल प्रदाय भाग की विद्युत् मांग में वृद्धि हुई और फलस्वरूप गत वर्ष में इस स्थान पर विद्युत् स्थिति में कठिनाई आई। अकेले जल प्रदाय विभाग का संयोजित भार (कनेक्टेड लोड) 280 अश्वशक्ति का है और जल प्रदाय विभाग को 20 घंटे प्रति दिन बिजली देनी पड़ती है। बाडमेर विद्युत् गृह का उच्चतम भार 400 के. डब्ल्यू. तक पहुँच गया है और परिणाम यह होता है कि जब कभी भी बड़े संयंत्र को मरम्मत करनी होती है तो सान्तर विद्युत् उपयोग की नीति (स्टेगरिंग) को अपनाना पड़ता है।

बाडमेर के उपभोक्ताओं की कठिनाई एवं वहां को विद्युत् के लिये बढ़ी हुई मांग को दृष्टि में रखते हुए विद्युत् मंडल ने 680 के. डब्ल्यू. का एक डीजल सेट उदयपुर विद्युत् गृह से यहां भेजा है जो वहां पर लगाया जाकर 28-2-69 को चालू कर दिया गया है। इस बड़ी क्षमता वाले संयंत्र के और लग जाने से यह आशा की जाती है कि बाडमेर में विद्युत् की अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी।

माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में कुछ बातों का जिक्र किया कि बाडमेर जिले का हैडक्वार्टर होने के कारण विद्युत् की पूरी व्यवस्था नहीं की गयी। रेगिस्तानी इलाकों में विद्युत् का सवाल कोई आसान सवाल नहीं है। थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों रुपयों का सवाल आता है। बाडमेर में जब गया तो यह विचार किया गया कि चम्बल और भाखरा की बिजली किस प्रकार पहुँचायी जाय तो साधारण तौर पर अनुमान लगाया गया तो 2।। करोड़ की योजना उसमें

(श्री शिवचरण माथुर)
बनाने की बात आती है।

(गण पूरक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : कोरम पूरा नहीं है। कोरम होने दीजिये।

(विराम)

प्रारम्भ कीजिये।

श्री शिवचरण माथुर - मैं निवेदन कर रहा था कि रेगिस्तानी इलाके में बिजली लगाने के काम में कोस्ट इन्वाल्व होती है, इसलिए बड़ी विद्युत् शक्ति को वहां ले जाकर के इस समस्या का हल सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश यह की जाती है कि पावर को लोकेलाइज करके, अच्छी शक्ति के पावर हाउस लगाने की बात करके इस समस्या को हल करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं और वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया था, जिसको मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि बाडमेर जिले में और बाडमेर नगर में खास करके जहां जहां ट्यूब वैल्स हैं, उनका पानी लिफ्ट करके पानी उपलब्ध करके बिजली का आम तौर पर उपयोग किया जाय। यह दोनो चीजें हमने करने की कोशिश की है कि जो क्षमता पावर हाउस की है उसको बढ़ाया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो बाडमेर में पावर हाउस है उसकी पूरी क्षमता 1094 किलोवाट की होगी पूरे इंजन लग जाने के बाद लेकिन अभी उसको आधा माना जाय तो आज पांच सौ किलोवाट की क्षमता है। जैसा कि स्वयं माननीय सदस्य मानते हैं और जैसा वित्त मंत्री जी ने भी कहा था कि 500 के. डब्ल्यू का वहां इंजन लगा देते है तो आज जितनी मांग है, उससे दुगुनी क्षमता उसको हो जाती है। मैं सोचता हूं कि बाडमेर नगर और उसके आस पास के क्षेत्र की मांग है उसको देखते हुए पांच सौ किलोवाट वाला इंजन लगाने से यह समस्या नहीं रहेगी। रहा सवाल, बाहर लगाने का, तो मैं सहमत हूं कि आज जहां पर पावर हाउस लगा हुआ है, वह अच्छी जगह नहीं है। हमने प्रयत्न किया है कि नया सेट लगायें तो वह नये स्थान पर लगाया जाय उससे और विकास की सभावना है। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो नया सेट लगेगा वह नई जगह पर लगेगा। मैं सोचता हूं, इन बातों से माननीय सदस्य सहमत होंगे कि विभाग पूरी कोशिश कर रहा है और जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए हम सजग हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : असिस्टेंट इन्जीनियर कार्यालय के बारे में क्या कहते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : असिस्टेन्ट इन्जीनियर कार्यालय के बारे में कहा था, दरअसल में विद्युत् मण्डल का असिस्टेन्ट इन्जीनियर कार्यालय के लिए कुछ क्राइटेरिया है–आमदनी का जरिया कितना है, बीच में खास तौर पर सेन्ट्रल प्लेस कौनसी पड़ती है–इन बातों को दृष्टि में रखते हैं। बालोतरा एक सेन्ट्रल प्लेस है और जो वहां पर दूसरी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए जूनियर इन्जीनियर का कार्यालय वहां है। पेमेन्ट का सवाल आपने उठाया था उसकी व्यवस्था को ठीक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई कठिनाई हो तो बतायें, उसको दूर कर देंगे। जहां तक असिस्टेन्ट इंजीनियर हैड क्वार्टर

(श्री शिवचरण माथुर)

का सवाल है, वह कई बातों पर निर्भर करता है—आमदनी, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूशन– वह कई बातों पर निर्भर करता है। इसलिए उसके बारे में यहां निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

विधायी कार्य

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय को बढ़ाने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि (एकीकरण तथा विखण्डन निवारण) (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि इसको विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिदेव जोशी : पारित किया जाय कहें साहब, कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा !

एक माननीय सदस्य : बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे दो पाइन्ट कहने हैं साहब !

श्री हरिदेव जोशी : कोई नहीं हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मनोहरसिंह मेहता !

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह !

(अनुपस्थित)

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें।

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदया, मेरा अमेंडमेंट है सिर्फ खंड-5 में।

The expression occurring in lines 4 to 6 of the clause, "any judgment, decree or order of a court and any defect or want of procedure, jurisdiction or authority," be omitted.

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय ?

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय, संशोधित रूप में। (विराम) कोई बोलते नहीं हैं।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

प्रक्रिया के नियमों में संशोधन

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदया, मेरा एक प्रस्ताव है वह यह है कि अभी अभी कुछ दिन पहले हमने सदन के नेता के प्रस्ताव पर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी एस्टीमेट कमेटी और दीगर फाइनेंसियल कमेटी के चुनाव के लिए एक कार्यक्रम बनाया था। हमारे रूल्स के हिसाब से इन कमेटियों का एक साल का समय होता है। क्योंकि विरोधी दल के माननीय सदस्य बहिष्कार कर रहे हैं और हम इन कमेटियों का इलेक्शन करवा कर यह भावना, यह धारणा देना नहीं चाहते कि हम उनको इन कमेटियों से साल भर के लिए वंचित करें, मगर समस्या यह है कि जब तक रूल्स के अन्दर यह अमेंडमेंट न हो जाय कि अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दे दिया जाय कि मौजूदा कमेटियों का समय छः महीने तक के लिए बढ़ा दिया जाय, समय बढ़ाने का अधिकार उनको न दिया जाय तब तक एक वेक्यूम क्रियेट हो जायगा और कमेटी काम नहीं कर सकती। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस रूल में यह प्रोवीजो एड किया जाय :

"Provided that the Speaker may at any time extend the term of office not exceeding six months."

यह मेरा प्रस्ताव है और मैं आशा करता हूं कि सदन इसको मंजूर करेगा।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पूर्व 11.58 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 690 की सूची)

AGREEMENT

An agreement made this Twenteeth day of Dec. 65 between the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter referred to as "the Government" which expression shall where the context so admits include his successors and assigns) of the one part, and Trustees of the KHAITAN CHARITABLE TRUST (hereinafter referred to as "DONOR" which expression shall where the context so admits include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns) of the second part, and the Municipal Board, Sujangarh, a Board established under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (hereinafter referred to as "the Board") on the third part.

Whereas the Government has agreed to finance the Board for having a water supply scheme at Sujangarh duly approved by it on the condition that a sum of Rs. 5 lakhs (Rs. Five lakhs only) is collected by private Donations.

AND WHEREAS the donor have offered to donate a sum of Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakhs only) for the execution of the said Scheme at Sujangarh, which the Govt. and the Board have accepted.

NOW, THEREFORE. THESE PRESENT WITNESSTH AS UNDER.—

1. Out of the total amount of donation of Rs. Five lakhs, a sum of Rs. 1 lakh (Rs. one lakh only) is being given to day, the day of the month of 168 1965, the date of the agreement, Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lakhs only) shall be paid after 12 months from the date of agreement and the balance of Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lakhs only) shall be paid after the expiry of 18 months of the second payment, by the Donor to the Government.

2. The Scheme shall be known and bear the name of "KHAITAN Govt. WATER WORKS, SUJANGARH" and the same shall be inscribed on all constructions made in connection with the above scheme i. e. building reservoirs etc. and all the printed papers and files in connection with the scheme shall also have the said name (i. e. KHAITN WATER WORKS, SUJANGARH) printed on them.

3. The responsibility for the execution, conduct and maintenance of the said scheme shall be of the Board and the Government who shall also be responsible for all the expenditure.

4. In the event of any future increase in the demand for Water Supply due to improvement, expansion or any other reason in the town of Sujangarh, the Donor shall not be required to meet such

demand and it shall be the responsibility of the Board and the Govt. to meet the same.

5. Even when the Board and the Govt. decide to expand the said scheme in future, it will never the less be continued in the same name i. e. KHAITAN GOVERNMENT WATER WORKS, SUJANGARH.

6. The aforesaid scheme which has already been approved by the Government and is specified in Schedule, I, shall not be altered or changed.

7. The Government in consultation with the Board shall get the scheme completed by the end of the year 68 by which time full supply of water in the Town shall be started according to the Scheme. In case the above Scheme is not completed within the time so stipulated leaving out reasons beyond the control of the Govt. the Donor shall be entitled for the refund of the amount already contributed in the said scheme from the Government.

8. The Stamp duty for this agreement shall be borne by Donor.

In Witness Whereof the parties have signed this day.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 692 की सूची)

नक्शा (प्राईवेट इस्तगासे) मुकदमात

माह	वर्ष			
	1965	1966	1967	1968
जनवरी	10	13	37	18
फरवरी	10	20	30	25
मार्च	14	57	48	—
अप्रेल	10	40	27	—
मई	7	50	46	—
जून	9	38	40	—
जुलाई	6	32	97	—
अगस्त	4	49	44	—
सितम्बर	8	31	74	—
अक्तूबर	19	31	36	—
नवम्बर	7	34	26	—
दिसम्बर	10	30	22	—
	114	425	527	43

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 694 की सूची)

नाम औषधालय	कार्यरत वैद्य	कब से	कब तक
1 तारानगर	श्री भूरामल	जनवरी 61	मार्च 67
2. ,,	श्री गजानंद	अप्रेल 67	सितम्बर 67
3. ,,	श्री भूरामल	अक्टूबर 67	दिसम्बर 68

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न सं. 545 की सूची)

परिशिष्ट "क"

संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की सूची

क्रमांक	नाम अधिकारी	संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति की तिथि	वर्तमान मासिक वेतन	
			मूल वेतन	प्रति नियुक्ति भत्ता
1	2	3	4	5
(1)	श्री राजमल सिंघी	23-12-66	850)	170)
(2)	श्री रतनबिहारी त्यागी	22-1-68	850)	170)
(3)	श्री रामशरण शर्मा	10-2-68	800)	160)
(4)	श्री मिश्रीलाल जैन	14-3-68	750)	150)
(5)	श्री गोविन्द कान्त शर्मा	13-3-68	1300)	—
(6)	श्री श्रीकृष्ण माथुर	16-3-68	750)	150)
(7)	श्री गोपीचन्द काला	27-3-68	650)	
(8)	श्री राधाकृष्ण चौधरी	16-3-68	1000)	
(9)	श्री महावीर प्रसाद राजवंशी	18-3-68	750)	
(10)	श्री नाहरसिंह	29-6-68	650)	
(11)	श्री शिवकुमार व्यास आर. ए. एस.	1-7-68	1050)	

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 549 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RAJASTHAN GROUND WATER BOARD JODHPUR

Details of the Successful Tubewells Drilled by Rajasthan Ground Water Board Jodhpur in Jalore District Upto Feb. 69.

1. Chairman, Municipal Board, Jalore.
2. Chairman, Municipal Board, Jalore.
3. Chairman, Municipal Board, Jalore.
4. Water works Bhinmal—I
5. Water works Bhinmal—II
6. Water works Bhinmal—III
7. Water works Bhinmal—IV
8. Water works Lacheri 9 Jalore.
9. Dabal (Jalore)
10. Jalore.
11. Nomedic settlement scheme Hotigaon (Jalore)
12. -do- Senkar (Jalore)
13. -do- Sarnau (Jalore)
14. Addl. Chief Engineer, P. W. D. Project at Golio.
15. Addl. Chief Engineer (Project) at Karola Sanchore.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RAJASTHAN GROUND WATER BOARD JODHPUR

List of the Tubewells Constructed by Exploratory Tubewells Organisation in Jalore District.

With Public Health Engineering Department

Acceptable to State Government

1. Ahore
2. Tikli
3. Sahthu
4. Garah
5. Paharpura

With Raj. Ground Water Board

6. Un
7. Noon
8. Leta
9. Degaon
10. Elana
11. Dadhal
12. Bagora
13. Tilora
14. Megalwa
15. Sarao
16. Mithri
17. Surana
18. Keswana
19. Kurn
20. Nayakhera
21. Golia
22. Sonpura
23. Bakra.

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 551 की सूची)

राजस्थान राज्य में राज्य सरकार द्वारा निर्माण किये गये भवनों की जिलेवार सूची

	स्थान का नाम	जिले का नाम
1.	बांसवाडा	बांसवाडा
2.	चित्तौडगढ	चित्तौड
3.	झालावाड	झालावाड
4.	जोधपुर	जोधपुर
5.	जयपुर	जयपुर
6.	उदयपुर	उदयपुर
7.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
8.	जैसलमेर	जैसलमेर
9.	निवाई	टोंक

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 554 की सूची)

परिशिष्ट "क"

गांव का नाम	औषधालय की श्रेणी
कसूम्बी	स
रोड्डू	स
निम्बी जोधा	ब
लाडनू	स
सीलनवाड	स

परिशिष्ट "ख"

गांव का नाम	गत वर्ष 67-68 औषध वितरण	इस वर्ष (68-69) औषध वितरण
कसूम्बी	965-00	500-00
रोड्डू	890-00	973-51
निम्बीजोधा	1220-00	1991-04
लाडनूं	995-00	1009-15
सीलनवाड	995-00	1078-00

परिशिष्ट "ग"

स्थान	वैद्य	उपवैद्य	धात्री
लाडनूं	श्री रामगोपाल आयुर्वेदाचार्य	श्री मदनमोहन ट्रेण्ड	श्री कमलादेवी ट्रेण्ड
कसूम्बी	श्री मदनगोपाल ,,	——	
रोड्डू	श्री भागीरथ ,,	श्री भागचन्द ट्रेण्ड	
निम्बीजोधा	श्री श्यामसुन्दर भिषगाचार्य	श्री नन्दलाल कछावा ट्रेण्ड	
सोलनवाड	श्री मूलचन्द आयुर्वेदाचार्य	श्री गिरधर दवे (प्रशिक्षण)	

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न सं. 358 की सूची)

कनिष्ठ लिपिक के पद पर एम. ए. पास अस्थायी कर्मचारियों की सूची (जनवरी सन् 1968 तक)

क्र.सं.	नाम विभाग	संख्या कर्मचारी	कब से अस्थायी हैं
1.	पोलीटैकनिक, अलवर	1	1–1–1966
2.	नियोजन सेवा निदेशालय, जयपुर	1	1–9–1967
3.	राजस्व मंडल, अजमेर	1	5–6–1965
4.	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, संबद्ध चिकित्सालय वर्ग बीकानेर।	1	27–9–1965
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	1	1–6–1965
6.	जिलाधीश, अजमेर	1	30–6–1964
7.	निदेशक, बीमा विभाग, जयपुर	1	22–5–1967
8.	जिलाधीश, कोटा	1	1–5–1964
9.	निदेशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर	2	5–5–1962
10.	निदेशक, परिवहन विभाग, जयपुर	1	10–6–1966
11.	जिलाधीश, जोधपुर	1	23–2–1964
12	राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर	3	5–1–1965
			21–7–1966
			1–8–1967
13.	निदेशक एन. सी. सी., जयपुर	1	22–7–1965
14.	निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	2	15–10–1963
			2–9–1964
15.	शासन सचिवालय, जयपुर	5	16–11–1967
			28–4–1966
			4–11–1967
			21–10–1967
			21–10–1967
16.	शिक्षा (प्रा. एवं पा.) विभाग	3	23–9–1966
			24–3–1966
			13–6–1963

Page No 65

17.	मुख्य अभियंता, भवन एव पथ	2	17–4–1964 9–8–1966
	कुल योग :—	28	

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1969)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
10		10	कना	कहना
"	अन्तिम से	2	जा	जो
11		8	माननय	माननीय
13	अन्तिम से	7	अनुपस्थत	अनुपस्थित
15	शीर्षक		3 अप्रल	3 अप्रेल
17		8	92	662
19		12	जा	जो
"	अन्तिम से	7	इत	इतने
20	अन्तिम से	10	श्री हरिबल्लभ शर्मा	674. श्री हरि बल्लभ शर्मा
21 से 54	शीर्षक		तारांकित प्रश्नोत्तर	अ. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
32		10	स्वकृति	स्वीकृति
33		9	गही	नहीं
49	अन्तिम		मेज पर दी गई हैं।	मेज पर रख दी गई हैं।
68		12	190	1960
69	अन्तिम से	6	कृप	कृपा
70	शीर्षक		अतारांकिन	अतारांकित
78	अन्तिम से	16	का	की
"	"	6	चिक्रय	विक्रय
"	"	4	नरपालिका	नगरपालिका
"	"	3	65-6	65-66
82		12	का कृपा करेंग	की कृपा करेंगे
"		14	लाडपु ा	लाडपुरा
"		16	क	के
"	अन्तिम से	13	सहा	सही
"	"	12	लाग मजदूर थे जा	लोग मजदूर थे जो
"	"	11	उनक	उनके

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
82	अन्तिम से	10	हान में बाधा हागा	होने में बाधा होगी
,,	,,	9	मुदमें	मुकदमें
,,	,,	2	क	के
83		18	म	में
85	अन्तिम से	8	श्री मनेहर सिंह सेहता	श्री मनोहर सिंह मेहता
86	,,	6	मामल	मामले
89		3	वष	वर्ष
,,		10	वर्पा	कृपा
,,		18	काम	काम
89	अन्तिम से	8	सवें	सकें
,,	,,	3	वनस्पत घी	वनस्पति घी
91	अन्तिम से	6	वसूल	वसूली
94	,	12	जी. स. आर	जी. एस. आर.
96		14	धार	और
,,	अन्तिम से	14	क	के
,,	,,	13	ाक	कि
,,	,,	8	जिसक	जिसके
,,	,,	4	जनवरा	जनवरी
,,	,,		था	थी
97	,,	9	घन्टे	घन्टे
100		1	ाले	वाले
102	अन्तिम		याजना	योजना
103	,,		ा	था
117		11	गांल	गांव